वर्ष-8 अंक-11

नवम्बर 2018 मूल्य रुपए 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

सीबीआई की अग्नि परीक्षा

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/FOREIGN BOOKS, JOURNALS

NEW/OLD LAW BOOKS

BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIES

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4 West Vinod Nagar, Delhi-110092

mail- suresh66pandey@gmail.com, pandeysureshk@gmail.com
Web:-www.skacademic.com

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10– सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11– लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13– हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14– भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15– समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16– देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17– सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18– कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19– गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010

lokjagriti@gmail.com, 9560522777

www.lokjagriti.com

निडर और बेबाक!

भारत की 12 दमदार महिला वकील

भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज की शक्तिशाली महिलाएं ज़माने की इस रूढ़िवादी सोच को बदलती नज़र आ रही हैं। भारतीय महिलाएं दुनियाभर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रही हैं। इसी क्रम में देश का क़ानून भी आता है। एक समय था जब इसे पुरुष वर्चस्व वाला मैदान कहा जाता था। पर इन प्रतिभाशाली 12 वकीलों ने इस फ़ील्ड में कदम रख, नई पीढ़ी के लिए एक नई राह बना दी।

1– मेनका गुरुस्वामी

मेनका सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जो कॉर्पोरेट, क्रिमिनल और Constitutional क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के लिए काम करती हैं। दिल्ली की इस वकील ने धारा 377 के ख़िलाफ़ कोर्ट में याचिका दायर कर सितंबर को ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस क़ानून के तहत भारत में अब सहमति से बने समलैंगिक संबंध ग़ैरक़ानूनी नहीं है।

2– फ़लेविया अगनीस

फ़लेविया अगनीस, मुंबई स्थित संगठन 'मजलिस' की डायरेक्टर और जेंडर राइट्स की लड़ाई लड़ने वाली जानी–मानी वकील हैं। इसके अलावा वो अल्पसंख्यकों और क़ानून, लिंग पर कई लेख भी लिख चुकी हैं। घरेलू हिंसा के अनुभव ने फ़लेविया को महिलाओं के हित में लड़ने के लिए प्रेरित किया।

3– करुणा नंदी

करुणा सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। संवैधानिक कानून, कॉमर्शियल मुकदमे, मीडिया क़ानून और लीगल पॉलिसी के कई मामलों में विजय प्राप्त करने वाली इस वकील को फ़ोर्ब्स मैगज़ीन द्वारा 'माइंड दैट मैटर्स' में जगह मिल चुकी है। इसके अलावा उन्हें भोपाल गैस त्रासदी और ऑनलाइन फ्री स्पीच आदि मुद्दों के लिए भी जाना जाता है। नंदी वही वकील हैं, जिन्होंन दिल्ली के निर्भया रेप केस को लड़ा था। साथ ही महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के मुद्दे को गंभीरता से उठाया।

4– पिंकी आनंद

डॉक्टर पिंकी आनंद सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला वकील है, उन्हें फ़िक्की और भारत निर्माण क़ानून में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

5– इंदिरा जयसिंह

इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जो मानव अधिकारों के लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ती हैं। यही नहीं, 2018 में उन्हें फ़ॉर्च्यून पत्रिका द्वारा दुनिया के 50 महानतम वकीलों की सूची में 20 वें स्थान पर रखा गया।

6– कामिनी जायसवाल

कामिनी सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास कर रही भारतीय वकील हैं। इसके अलावा वो Committee On Judicial Accountability समिति की सदस्य भी हैं। ये समिति प्रतिष्ठित वकीलों का ऐसा समूह है, जो न्यायाधीशों की जवाबदेही में सुधार का काम करता है।

7– रेबेका जॉन

रेबेका जॉन क्रिमिनल लॉ में वरिष्ठ वकील बनने वाली पहली महिला वकील हैं, उन्होंने 1988 में बतौर वकील अपने करियर की शुरूआत की, इससे पहले मानव अधिकार मामलों में भाग लेने वाली कोई महिला वकील नहीं थी।

8– ज़िया मोदी

ज़िया मोदी की पहचान कॉर्पोरेट लॉ में निर्विवाद वकील के रूप में है। वहीं उनकी फ़र्म AZM & Partners को विलय और अधिग्रहण के लिए शीर्ष लॉ फ़र्मस में पहला स्थान हासिल है। यही नहीं, बिज़नेस टुडे ने उन्हें भारत में 25 सबसे शक्तिशाली वकीलों में शामिल किया।

9– दीपिका सिंह रजावत

दीपिका, जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय में वकील हैं। दीपिका पहली ऐसी शख़्स थी, जिन्होंने जम्मू के कठुआ रेप केस के लिए याचिका दायर की और नन्ही सी आसिफ़ा को न्याय दिलाने के लिए सराहनीय काम किया।

10– वृंदा ग्रोवर

वृंदा ग्रोवर, हाई कोर्ट में वकालत करने वाली भारत की मशहूर वकील हैं। वो सिख दंगों को लेकर चर्चा में आई। इसके अलावा उन्होंने मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ़ लंबी और शानदार लड़ाई भी लड़ी है।

11– सुधा भारद्वाज

सुधा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और वकील हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के PUCL (Peoples Union for Civil Liberties) में बतौर जनरल सेक्रटरी भी काम करती हैं। उन्होंने दलितों और जनजातीय अधिकारों समेत कई गंभीर मुद्दों पर काम किया।

12– मीनाक्षी अरोड़ा

2013 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से मीनाक्षी को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया। वो पांचवी ऐसी महिला वकील थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में काम करने का सम्मान प्राप्त हुआ। मीनाक्षी ने यौन उत्पीड़न समेत कई मुद्दों पर मसौदे तैयार किये हैं।

लोक जागृति पत्रिका

नवम्बर 2018 वर्ष 8 अंक 11

संरक्षक

पं. दयानंद शुक्ला

कपिल सिंघल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

आलोक सोलंकी

बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

धीरज पाण्डेय

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा

साज सज्जा

A.N.R. Creation

7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्रा

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

जी डी. अग्रवाल, भागीरथी कहे जाने वाले योग व्यक्ति का जिस तरह से गंगा की स्मिता की रक्षा करते हुए निधन हुआ वह बहुत ही दुखद है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के बाद आमरण अनशन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। गांधी जी जब अनशन करते थे तो अंग्रेज तक डर जाते थे, कहा जाता है "दे दी आजादी बिना, खड्ग बिना ढाल" लेकिन 111 दिन के अनशन के बाद पुलिस द्वारा जिस तरह बर्बरतापूर्वक जबर्दस्ती उठा के ले जाना और उसके बाद मृत्यु होना वह भी एक नेक काम के लिए, दूसरी गंगा मां के पुत्र के शासन काल में। जरा सोचो यदि अन्ना हजारे जी के साथ ऐसा होता तो ऐसे ही सारी मीडिया, राजनेता चुप्पी साथ लेते, क्या कारण है जी.डी. अग्रवाल की मृत्यु पर सभी तरफ सन्नाटा मीडिया मौन, प्रशासन मौन। चारो तरफ पूंजीवादी नेताओं का बोलबाला है। लोगों को न तो जनता की चिंता है और न पर्यावरण, न देश की सुरक्षा की, देश की जनता करे तो क्या करे! अभी राफेल का मुद्दा उठाया जा रहा है। यहां सौदा कम ज्यादा का नहीं है देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी को लीक करना और शत्रु देश तक पहुंचाने का है जब सारी चीजें धन कमाने पर केंद्रित हो जाए तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। इसके लिए सरकार ने तमाम खुफिया एजेंसी बना रखी है लेकिन वे काम कुछ करती नहीं है। 2015 में शास्त्री भवन में जासूसी कांड हुआ था जिसमें कुछ नामी कंपनी के जीएम जेल गए थे और केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। विस्तृत निष्पक्ष जांच होती तो कंपनी के मालिक भी जेल में होते। यह जासूसी कांड पेट्रोलियम मंत्रालय साथ में वित्त मंत्री के बजट भाषण तक को प्राइवेट कंपनी के मालिक तक पहुंचाते थे जिससे वे सरकारी नीतियों के पहले से जानकर अपने पक्ष में कार्य कर सकें एवं फायदा ले सके। जासूसी कराने वाली कंपनी में से एक कंपनी के मालिक रक्षा सौदा करने वाली कंपनी के मालिक है। अब सवाल उठता है कि ऐसी कंपनी से देश की सुरक्षा जानक. री कितनी सुरक्षित है!

देश के नीति निर्धारक जो पहले रहे हैं या जो है देश को उसी तरह से समझते और उपयोग करते है जैसे लोग होटल के कमरे बुक कराते हैं उपयोग करते हैं चले जाते है। आदमी ही आदमी को अलग–अलग दृष्टि से देखता और व्यवहार करता है। चुनाव आने वाले हैं मंदिर मुद्दा फिर गरमा रहा है। अयोध्या में जब मन्दिर का ताला खुला था तो लोगों ने खुशी मनाई थी उस समय मैं अयोध्या में पढ़ाई कर रहा था दिवाली मनाई गई थी लोगों का राम लला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी थी, जब ताला मंदिर का खुला था तो वह मंदिर ही था फिर कब वह मस्जिद हो गई? पता नहीं चला, दूसरा मस्जिद गिरी तो मंदिर क्यों बनना चाहिए! क्या रामलला मस्जिद में विराजमान थे, यदि मस्जिद गिराई गई तो वे घर राम लला टेंट में क्यों चले गए। यह सब वोट का खेल है नोट का खेल है।

लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, अलग–2 विश्वविद्यालय इनसे निकलने वाले अलग–अलग विचार ये विचार ये सब लोकतंत्र की तहे बनाते हैं। सरकार इन सब को खारिज करती है। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पवित्र गाय नहीं है, आरबीआई पवित्र गाय नहीं है, तो चुनी हुई सरकार भी पवित्र गाय नहीं है। जिसमें खुलकर कालाधन और काले कारनामे होते हैं।

कोई भी मूर्ख आलोचना,निंदा, और शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख करते हैं।

सीबीआई के आला अफ़सरों में खुली जंग

सीबीआई में जारी रस्साकशी अब खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी ही संस्था के नंबर 2 अफ़सर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ रिश्वतख़ोरी के मामले में एफ़आईआर दर्ज की है, तो दूसरी तरफ़ अस्थाना ने सीबीआई के नंबर एक डायरेक्टर आलोक वर्मा के ख़िलाफ़ कई मामलों में करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने संबंधी शिकायत कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजी है। इस तरह देश की प्रीमियर जांच एजेंसी के दो सबसे बड़े अफ़सरों में सीधी लड़ाई छिड़ गई है। ये सीबीआई के इतिहास में पहला मौका है जब दो शीर्ष अधिकारी एक दूसरे के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अफ़सर हैं और उन्हें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का 'ब्लू आइड ब्वाय' (दुलारा) कहा है। जबकि लोक जागृति पत्रिका पहले ही इस बारे में बता चुकी थी।

ये भी दिलचस्प है कि सीबीआई कार्मिक विभाग (डीओपीटी) के तहत आता है जिसका प्रभार स्वयं प्रधानमंत्री के पास है, यानी उनकी नाक के नीचे सीबीआई के दो शीर्ष अफ़सर एक–दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।

क्या है रिश्वत का मामला

राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हैदराबाद के एक बिज़नेसमैन सतीश बाबू सना की शिकायत पर दर्ज हुई है। सतीश बाबू ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जांच रोकने के लिए दो करोड़ रुपयों की रिश्वत दी। एफ़आईआर में अस्थाना के ख़िलाफ़ साज़िश और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

पिछले हफ़्ते दर्ज एफ़आईआर में कहा गया है कि सतीश बाबू ने दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति मनोज प्रसाद की मदद से रिश्वत देने की बात कही है। एफ़आईआर में कहा गया है कि मनोज प्रसाद का दावा था कि वो सीबीआई में लोगों को जानता है और जांच को रुकवा सकता है।

सतीश बाबू के ख़िलाफ़ जो जांच चल रही थी। उसकी अगुआई राकेश अस्थाना कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में उन्हें प्रधानमंत्री का दुलारा बताया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि "एक गंभीर रूप बीमार संस्था अब खुद से लड़ रही है"।

ख़बरों के मुताबिक़ सीबीआई ने मनोज प्रसाद को चंद दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया है। अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि व्हाट्सएप पर इस बाबत भेजे गए मैसेजों की जांच हो रही है।

सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके एनके सिंह ने बीबीसी से कहा कि इसकी शुरुआत 2016 में ही हो गई थी जब एजेंसी के नंबर दो अधिकारी आरके दत्ता का तबादला अचानक गृह मंत्रालय में कर दिया था।

वरिष्ठता के हिसाब से दत्ता सीबीआई के निदेशक बन सकते थे, उनका तबादला तब के डायरेक्टर अनिल सिन्हा के रिटायर होने से ठीक दो दिन पहले किया गया। इसके बाद कर्नाटक कैडर के आईपीएस आरके दत्ता अपने राज्य लौट गए।

इसके बाद राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया गया। जानकारों का कहना है कि उनकी नियुक्ति आगे चलकर स्थायी हो गई होती लेकिन वकील और सामा. जिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।

फरवरी 2017 में आलोक वर्मा जांच एजेंसी के प्रमुख नियुक्त किए गए और कुछ माह बाद ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा।

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किए जाने का ये कहते हुए विरोध किया कि उनके खिलाफ़ कई तरह के संगीन आरोप हैं और मामले में जांच जारी है, इसलिए उन्हें एजेंसी में नहीं होना चाहिए।

इस बीच, डायरेक्टर आलोक वर्मा ने इस बात पर एतराज़ जताया है कि उनकी गैर–मौजूदगी में अस्थाना किसी तरह के संस्था की नुमांइदगी नहीं कर सकते हैं।

जांच एजेंसी के कामकाज पर किताब लिख चुके एनके सिंह कहते हैं, "सीबीआई के दुरुपयोग की कोशिश कोई नई नहीं है और ये पहले भी होती रही है, लेकिन अब मामला चरम पर पहुंच चुका है"।

डायरेक्टर पर उठाए सवाल

एक अखबार में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ सीबीआई के नंबर–2 राकेश अस्थाना ने डायरेक्टर आलोक वर्मा के ख़िलाफ़ कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है जिसमें वर्मा पर सतीश बाबू सना से दो करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया है।

वर्मा के खिलाफ़ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोयला और 2जी घोटाले में शामिल दो लोगों को सेंट किट्स की नागरिकता लेने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अस्थाना ने वर्मा के ख़िलाफ़ हरियाणा में एक ज़मीन के सौदे में गड़बड़ी करने और भ्रष्टाचार के दूसरे कथित मामलों का भी ज़िक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि वो इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने की सोच रहे हैं।

साभार : बीबीसीडॉटकॉम

पहले कठिन काम पूरे कीजिये. आसान काम खुद–बखुद पूरे हो जाएंगे।

आधी रात में तख्तापलट?

जब शहर सो रहा था तो दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में ज़बरदस्त गहमा–गहमी मची थी। उच्च स्तर पर हुई बैठकों के बाद भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव लोक रंजन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे एम. नागेश्वर राव को तुरंत प्रभाव से एजेंसी के डायरेक्टर का कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया। यानी सीबीआई के डायरेक्टर रहे आलोक वर्मा की छुट्टी। वही आलोक वर्मा जिनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ब्लू–आइड बॉय' बताए जाने वाले राकेश अस्थाना के खिलाफ साज़िश और भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज हुआ था और मामले की जांच हो रही थी। ख़बरों के मुताबिक़ कुछ ही देर में पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय को चारों तरफ़ से घेर लिया और देर रात क़रीब पौन दो बजे के आसपास नागेश्वर राव ने सीबीई के सीजीओ कम्पलेक्स स्थित एजेंसी के मुख्यालय पहुंचकर चार्ज ले लिया। इतना ही नहीं, नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा के कार्यालय को सील भी करवा दिया। बाद में वर्मा और अस्थाना को सूचना दी गई कि उन्हें एक 'लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। साभार : बीबीसीडॉटकॉम

सत्ता के गलियारे और सोशल मीडिया चर्चाएं गर्म हैं

सीबीआई प्रकरण से नरेंद्र मोदी की सशक्त–नेतृत्व छवि के धूमिल होने से लेकर देर रात हुए फ़ैसले की क़ानूनी वैधता तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर सवाल उठाया, "सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें जबर्दस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री का मैसेज एकदम साफ़ है जो भी राफेल के इर्द गिर्द आएगा – हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा।"

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल भी, जिनसे राहुल गांधी का बहुत 'दोस्ताना' नहीं, रफ़ाल का सवाल उठाते दिखे, "क्या राफेल सौदे और आलोक वर्मा को हटाये जाने में कोई संबंध है?"

हालांकि फ्रांस के दासो से ख़रीदे जा रहे लड़ाकू विमान राफेल और सीबीआई में हुए बदलाव पर कांग्रेस अध्यक्ष और 'आप' संयोजक ने सीधे–सीधे सवाल उठाया है लेकिन राफेल मामले पर वर्मा से मोदी–अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय की नाराज़गी की बात कई दिनों से कही–सुनी जा रही थी।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके अरुण शौरी और एडवोकेट प्रशांत भूषण रफ़ाल सौदे में हुए कथित घोटाले की बात लेकर सीबीआई गए थे, और उनकी मुलाक़ात आलोक वर्मा से हुई।

सरकार आलोक वर्मा और अरुण शौरी–प्रशांत भूषण के बीच हुई मुलाक़ात को लेकर खुश नहीं थी और हुकूमत के एक सीनियर अधिकारी का कहना था कि एजेंसी के चीफ़ का राजनीतिज्ञों से मिलना आम बात नहीं है।

लेकिन सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन कहते हैं कि कोई भी अधिकारी किसी से मिलने से कैसे मना कर सकता है?

डीआर कार्तिकेयन के मुताबिक़, "वो किसी से भी मिलने को ग़लत नहीं समझते बशर्ते कि ये बार–बार न हो और सबसे बेहतर तो ये होगा कि एजेंसी प्रमुख ऐसी मुलाक़ातों में अपने साथ किसी सीनियर अधिकारी को भी बैठक में रहने को कहें।"

प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और वाजपेयी सरकार के एक अन्य पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले और प्राइवेट कंपनी रिलायंस को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने का इलज़ाम लगाते रहे हैं और बार–बार इसमें जांच की मांग उठाते रहे हैं।

कांग्रेस भी राफेल सौदे पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बनाए हुए है और कई बार तो बात यहां तक हो रही है कि रफ़ाल सौदा मोदी सरकार के लिए राजीव गांधी के बोफोर्स जैसा बनता जा रहा है।

साल 1984 में भारी मतों से सत्ता में आए 'मिस्टर क्लीन' यानी राजीव गांधी को अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था जिसकी एक बड़ी वजह बोफोर्स तोप सौदे में हुआ कथित घोटाला बताया गया था।

अरुण शौरी ने बीबीसी से कहा कि ये एक ऐसी आंधी है जिसमें बीजेपी दब जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले ने मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाल में कई विश्लेषकों ने कहा है कि मोदी जो सत्ता में कंट्रोल और दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, वो सीबीआई के मामले में कमज़ोर दिखाई देते हैं और ये पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

आनेवाले दिनों में चार राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी जिन कुछ मुद्दों पर जनता से वोट मांगती रही है उसमें मोदी का दृढ़–नेतृत्व भी शामिल रहा है।

वर्मा–शौरी भेंट पर ये बातें चल ही रही थीं कि इसी बीच सीबीआई में नंबर–वन और नंबर–टू के बीच घमासान शुरू हो गया।

स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई, प्रधानमंत्री ने वर्मा को मुलाक़ात के लिए बुलाया, मंगलवार को अस्थाना दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए जिसने उनकी गिरफ्तारी पर चंद दिनों के लिए रोक तो लगा दी लेकिन उनके खिलाफ़ जांच को ये कहते हुए रोकने से मना कर दिया कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं।

अस्थाना ने भी कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजे गए एक ख़त में वर्मा पर रिश्वतख़ोरी और दूसरे कई तरह के आरोप लगाए थे। साभार : बीबीसीडॉटकॉम

डर कहीं और नहीं बस आपके दिमाग में होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध करार दिया...

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ में 4:1 के बहुमत से आधार को वैध करार दे दिया। करीब डेढ़ घंटे तक सुनाए गए इस फैसले में जस्टिस ए के सीकरी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की ओर से फैसला सुनाया गया जबकि कुछ अन्य विचारों के साथ जस्टिस अशोक भूषण ने भी आधार को वैध ठहराया। हालांकि आधार एक्ट की कुछ धाराओं को रद्द कर दिया गया।

वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इससे असहमति जताते हुए सरकार पर आधार को मनी बिल के तौर पर पास करने को भी निशाना साधा और इसे सीधे–सीधे असंवैधानिक करार दे दिया।

जस्टिस सीकरी ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार से समाज के हाशिए वाले वर्ग को ताकत मिलती है। ये फैसला बड़े राष्ट्रीय हित में तालमेल बनाने पर आधारित है।

बहुमत के फैसले में धारा 57 को जिसमें प्राइवेट कंपनियों के आधार मांगने की अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया। पीठ ने स्कूल में दाखिले के लिए आधार की अनिवार्यता को भी रद्द किया। साथ ही बैंक अकाउंट के लिए भी आधार की अनिवार्यता को रद्द किया गया

है। हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139.. के तहत आधार को बरकरार रखा गया है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आधार जरूरी रहेगा लेकिन सरकार किसी जरूरतमंद को वंचित नहीं रख सकती।

पीठ ने कहा कि सरकार कोई डेटा नहीं रख सकती और डेटा को पांच साल तक नहीं बल्कि 6 महीने तक ही रखा जा सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी का डेटा शेयर करने के लिए सेकेट्री स्तर का अधिकार और कोई रिटायर्ड जज ही अनुमति देगा। ये भी कहा गया कि आधार को मनी बिल के तौर पर पास किया जा सकता है।

वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले से असहमति जताते हुए आधार को असंवैधानिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आधार को मनी बिल के तौर पर पास करना अवैध था। आधार को किसी भी योजना में अनिवार्य करना अंसवैधानिक है।

कुछ लाभ के लिए किसी के मौलिक अधिकारों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्राइवेट कंपनियों को दिया गया डेटा तुरंत डिलीट किया जाना चाहिए। वहीं पांचवे जज जस्टिस भूषण ने तीन अन्य जजों से सहमति जताई और कहा कि आधार असंवैधानिक नहीं है।

नेहरु बनाम मोदी

तीन मूर्ति के बंगले में जवाहरलाल नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय है। इस संग्रहालय और पुस्तकालय को महत्वपूर्ण बनाने में स्व. डॉ. हरिदेव शर्मा का विशेष योगदान है। वे डॉ. लोहिया के अनन्य भक्त थे। सैकड़ों–हजारों पत्र और दस्तावेज भी वहां संकलित हैं। वहां नेहरुजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए हैं। वह स्थान आधुनिक भारतीय इतिहास की धरोहर है। अब उसके नए निदेशक शक्ति सिन्हा ने एक अद्‌भुत और नया प्रस्ताव रखा है। अब 25 एकड़ के उस बंगले के शेष 23 एकड़ में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय बनाए जाएंगे। उसका शिलान्यास भी हो चुका है।

यदि ये संग्रहालय बनाकर नेहरुजी का महत्व घटाने की कोशिश हो तो यह बहुत ही गलत होगा लेकिन यदि नेहरुजी की छत्रछाया में शेष सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृति–रक्षा हो सके तो न सिर्फ नेहरुजी का एतिहासिक महत्व बढ़ जाएगा बल्कि तीन मूर्ति भवन की इस धरोहर में चार चांद लग जाएंगे। चार चांदों के नाम तो मैं आपको अभी गिना देता हूं। पहला– लाल. बहादुर शास्त्री, दूसरा– इंदिरा गांधी, तीसरा– नरसिंहराव और चौथा– अटल बिहारी वाजपेयी। इन चारों के अलावा भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं। कई अद्‌भुत गुण थे, जिन्हें आज के और भविष्य के नेताओं को सीखना चाहिए। वे सबको कैसे मालूम पड़ेंगे ? कौन बताएगा, उन्हें ? सभी प्रधानमंत्रियों के ऐसे गुणों पर हमें जोर देना चाहिए, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जो कांग्रेसी नेता इस बहुआयामी संग्रहालय का विरोध कर रहे हैं, उन्हें डर यह है कि इस योजना के तहत कहीं नरेंद्र मोदी को नेहरु से भी बड़ा बनाकर पेश नहीं कर दिया जाए ? यह डर, यह शंका बिल्कुल निराधार है। कहां नेहरु और कहां नरेंद्र मोदी ? मोदी को बड़ा बनाकर ये लोग अपने आप को छोटा क्यों करेंगे ? मोदी का अब मुश्किल से एक साल बचा है। अगर यह साल भी वैसा ही निकल गया, जैसे पिछले चार साल निकले हैं तो जिन चार चांदों का मैंने ऊपर जिक्र किया है, उनकी पंक्ति में भी मोदी को बिठाना मुश्किल होगा। यदि इस आखिरी साल में कोई चमत्कारी काम हो गया तो मोदी तीन मूर्ति में बैठे न बैठें, मोदी की मूर्ति करोड़ों भारतीयों के दिल में जरुर बैठ जाएगी।

उनसे मत डरिये जो बहस करते हैं बल्कि उनसे दरिये जो छल करते हैं।

गरीबों का इलाज करना डॉक्टरों का संवैधानिक कर्तव्य

छूट की जमीन पर बने अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने के दिल्ली सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा कि गरीबों का इलाज करना डॉक्टरों का संवैधानिक कर्तव्य है और वे उन लोगों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते जिनको किसी विशेष दवा या किसी विशेष डॉक्टर से इलाज कराना बहुत जरूरी है मगर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के सर्कुलर को ख़ारिज कर दिया था।

पीठ ने छूट वाली जमीन पर बने

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट लोगों का शोषण कर रहा है लोग इसे सरकारी अस्पताल समझ के आते हैं परंतु यह विशुद्ध रुप से प्राइवेट है

दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे सरकार द्वारा जारी सर्कुलर का पूरी तरह पालन करें और 10 प्रतिशत इनडोर और 25 प्रतिशत आउटडोर गरीब रोगियों का मुफ्त इलाज करें।

124 पृष्ठ के कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें : मेडिकल पेशे से जुड़े लोग गरीब लोगों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। अगर वे गरीबों का इलाज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते तो यह मेडिकल पेशे के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ होगा और यह पेशा शुद्ध रूप से वाणिज्यिक हो जाएगा जबकि इस पेशे की पवित्रता को देखते हुए इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पेशे में मदद करने की पवित्र भावना का लोप हो जाएगा और इसके अलावा यह संवैधानिक कर्तव्यों को नहीं मानने जैसा होगा।

आज के अस्पताल कमोबेश वाणिज्यिक शोषण के केंद्र हो गए हैं और ऐसे भी वाकये हुए हैं जब बिल नहीं चुक. ाने वालों को उनके परिजनों के शव नहीं दिए गए जो कि गैरकानूनी और आपरा. धिक दोनों है। भविष्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो,उस अस्पताल के प्रबंधन और इससे संबंधित सभी डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। एक डॉक्टर को बनाने पर राज्य बड़ी मात्रा में जनता का पैसा निवेश और खर्च करता है और इसलिए गरीबों का इलाज करना उनका कर्त्तव्य है और जो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते उनका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता।

बीमारी की गलत रिपोर्टिंग, ह्रदय और अन्य अंगों सहित शरीर की अनावश्यक चीड़फाड़ की जाती है; दिल्ली, गुड़गाँव व अन्य संस्थानों के अस्पतालों के लिए जरूरी है कि वे इस बारे में आत्ममंथन करें। उन्हें इस बात पर सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। क्या यह आपराधिक कार्य नहीं है? सिर्फ इसलिए कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते। समय आ गया है जब इनको उत्तरदायी बनाया जाए और बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक किया जाए।

चिकित्सा पेशे के बारे में यह कभी नहीं सोचा गया था कि यह शोषणकारी होगा और इस पेशे में शामिल लोग मरीज की कीमत पर पैसे बनाएंगे जबकि उम्मीद यह की जाती थी कि डॉक्टर उनकी ओर मदद में अपना हाथ बढ़ाएंगे। हर प्रिस्क्रिप्शन से शुरू होता है न की बिल की राशि से। बड़े अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल होने का मतलब यह नहीं है कि वे नैतिकता के स्तर के बाहर हो गए हैं।

उन्हें इसको हर कीमत पर बनाए रखना होगा और गरीबों को वित्तीय मदद उपलब्ध करानी होगी। आजकल अस्पतालों में पांच सितारा सुविधाएं होती हैं। वाणिज्यिक लाभ के लिए पूरी परिकल्पना ही बदल दी गई है। अब ये अस्पताल पहुँच के बाहर हो गए हैं। इनकी फीस इतनी ज्यादा है कि उनमें इलाज नहीं कराई जा सकती। कई बार तो वे जो इलाज करते हैं उसके लिए ली जाने वाली राशि अनावश्यक रूप से ज्यादा होती है। अस्पताल अपनी इस काली करतूत के बदले आर्थिक रूप से गरीब मरीजों की मदद करके कुछ इज्जत बटोर सकते हैं।

(दिल्ली ब्यूरो)

अगर आप शहद इकठ्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात मत मारिए।

#MeToo

हसीन और खूबसूरत नहीं डरावनी यादे

पुरानी यादें हमेशा हसीन और खूबसूरत नहीं होती। #MeToo कैम्पेन के जरिए आज जब देश में कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी के पुराने अनुभव साझा कर रही हैं तो यह पल निश्चित ही कुछ पुरुषों के लिए उनकी नींदें उड़ाने वाले साबित हो रहे होंगे और कुछ अपनी सांसें थाम कर बैठे होंगे। इतिहास वर्तमान पर कैसे हावी हो जाता है #MeToo से बेहतर उदाहरण शायद इसका कोई और नहीं हो सकता।

दरअसल इसकी शुरुआत 2006 में तराना बुरके नाम की एक 45 वर्षीय अफ्रीकन–अमेरिकन सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी जब एक 13 साल की लड़की ने उन्हें बातचीत के दौरान बताया कि कैसे उसकी मां के एक मित्र ने उसका यौन शोषण किया। तब तराना बुरके यह समझ नहीं पा रही थीं कि वे इस बच्ची से क्या बोलें। लेकिन वो उस पल को नहीं भुला पाईं, जब वे कहना चाह रही थीं, "मीटू", यानी "मैं भी", लेकिन हिम्मत नहीं कर पाईं। शायद इसीलिए उन्होंने इसी नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की जिसके लिए वे 2017 में "टाइम परसन ऑफ द ईयर" सम्मान से सम्मानित भी की गईं।

#Me too सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए
आम महिला की शिकायत तो प्रधान से प्रधानमंत्री तक नहीं सुनता। गीता देवी इसका जीता–जागता उदाहरण है

हालांकि #Me too की शुरुआत 12 साल पहले हुई थी लेकिन इसने सुर्खियाँ बटोरी 2017 में जब 80 से अधिक महिलाओं ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जिसके परिणामस्वरूप 25 मई 2018 को वे गिरफ्तार कर लिए गए।

और अब भारत में #Me too की शुरुआत करने का श्रेय पूर्व अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को जाता है जिन्होंने 10 साल पुरानी एक घटना के लिए नाना पाटेकर पर यौन प्रताड़ना के आरोप लगाकर उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद तो #Me too के तहत रोज नए नाम सामने आने लगे। पूर्व पत्रकार और वर्तमान केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, अभिनेता आलोक नाथ, रजत कपूर, गायक कैलाश खेर, फिल्म प्रोड्यूसर विकास बहल, लेखक चेतन भगत, गुरसिमरन खंभा... फेहरिस्त काफी लम्बी है।

#Me too सभ्य समाज की उस पोल को खोल रहा है जहाँ एक सफल महिला, एक सफल और ताकतवर पुरुष पर आरोप लगा कर अपनी सफलता अथवा असफलता का श्रेय #Me too को दे रही है। यानी अगर वो आज सफल है तो इस "सफलता" के लिए उसे "बहुत समझौते" करने पड़े। और अगर वो आज असफल है, तो इसलिए क्योंकि उसने अपने संघर्ष के दिनों में "किसी प्रकार के समझौते" करने से मना कर दिया था। बात सही है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है और एक महिला को अपने लिए किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।

लेकिन यह संघर्ष इसलिए नहीं होता कि ईश्वर ने उसे पुरुष के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर बनाकर उसके साथ नाइंसाफी की है बल्कि इसलिए होता है कि पुरुष स्त्री के बारे में उसके शरीर से ऊपर उठकर कभी सोच ही नहीं पाता। लेकिन इसका पूरा दोष पुरुषों पर ही मढ़ दिया जाए तो यह पुरुष जाति के साथ भी नाइंसाफी ही होगी क्योंकि काफी हद तक महिला जाति स्वयं इसकी जिम्मेदार है। इसलिए नहीं कि हर महिला ऐसा सोचती हैं कि वे केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर सफल नहीं हो सकतीं किन्तु इसलिए कि जो महिलाएँ बिना प्रतिभा के सफलता की सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ जाती हैं वो इन्हें हताश कर देती हैं। इसलिए नहीं कि एक भौतिक देह जीत जाती है बल्कि इसलिए कि एक बौद्धिक क्षमता हार जाती है। इसलिए नहीं कि शारीरिक आकर्षण जीत जाता है बल्कि इसलिए कि हुनर और कौशल हार जाते हैं।

इसलिए नहीं कि योग्यता दिखाई नहीं देती बल्कि इसलिए कि देह से दृष्टि हट नहीं पाती। आज जब #Me too के जरिए अनेक महिलाएं आगे आकर समाज का चेहरा बेनकाब कर रही हैं तो काफी हद तक कठघरे में वे खुद भी हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आज इतने सालों बाद सोशल मीडिया पर जो "सच" कहा जा रहा है उससे किसे क्या हासिल होगा? अगर न्याय की बात करें तो सोशल मीडिया का बयान कोई सुबूत नहीं होता जो इन्हें न्याय दिला पाए या फिर आरोपी को कानूनी सज़ा। हाँ आरोपी को मीडिया ट्रायल और उससे उपजी मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि की पीड़ा जरूर दी जा सकती है। लेकिन क्या ये महिलाएं जो सालों पहले अपने साथ हुए यौन अपराध और बलात्कार पर तब चुप रहीं इनका यह आचरण उचित है? नहीं, ये तब भी गलत थीं और आज भी गलत हैं। क्योंकि कल जब उनके साथ किसी ने गलत आचरण किया था उनके पास दो रास्ते थे। उसके खिलाफ आवाज उठाने का या चुप रहने का, तब वो चुप रहीं। (एजेंसी)

एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए।

आखिरकार अकबर को ताज छोड़ना पड़ा

#MeToo अभियान की वजह से आख़िरकार मोदी सरकार के विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा।

एमजे अकबर ने लिखा है, "मैंने तय किया है कि व्यक्तिगत रूप से न्याय के लिए कोर्ट में गुहार लगाऊंगा। मैंने पद से इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आभारी हूं जिन्होंने मुझे देश सेवा का मौका दिया।" इस इस्तीफ़े की मांग देशभर की महिलाओं की ओर से की जा रही थी। आठ अक्टूबर को पत्रकार प्रिया रमानी ने एम जे अकबर पर संपादक रहते हुए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे–इसके बाद 20 महिलाओं ने अकबर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए– अकबर ने प्रिया पर आपरा. धिक मानहानि का केस किया और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। (एजेंसी)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए दो दिन पहले सूचित करना होगा

अब उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 10 दिनों तक जमानत के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के लिए 10 दिन वाले नियम को घटाकर अब उसे दो दिन कर दिया है। पहले किसी सरकारी वकील को जमानत की अर्जी पर 10 दिन का अग्रिम नोटिस देना पड़ता था जिसके बाद ही जमानत की अर्जी पर सुनवाई होती थी। इसे अब घटाकर दो दिन कर दिया गया है। यह संसोधन इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम 1952 के नंबर 18 के उपनियम 3 में किया गया है। इस नियम में कहा गया है : जमानत की अर्जी पर जमानत का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक की सरकारी वकील को कम से कम 10 दिन पहले इसका अग्रिम नोटिस नहीं दिया जाता है। जमानत की अर्जी देने और इस पर सुनवाई शुरू होने के बीच 10 दिन का अंतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में हाईकोर्ट को इस बारे में छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा था। इस बारे में याचिका सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने दायर किया था जो पेशे से वकील हैं और एक दूरसंचार कंपनी के लिए काम करते हैं। रिजवी के वकील तल्हा अब्दुल रहमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के नंबर 18 के उपनियम 3 को जीवन के अधिकार और निजी स्वतन्त्रता के मौलिक सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण इसे गैर कानूनी करार देने का आग्रह किया था। इस नियम के साथ–साथ नियम 18(3) को संशोधित किया गया है। पहले यह कहा गया था कि अगर 10 दिन के नोटिस की अवधि के बीत जाने के दो दिनों के अंदर अगर जमानत के लिए आवेदन नहीं दिया जाता है तो आवेदनकर्ता को दो दिन का पूर्व नोटिस देना होगा। वकील रहमान ने कहा कि यह नियम प्रभावी रूप से गिरफ्तार होने वाले सभी लोगों को 10 दिनों के लिए कैद मुकर्रर करता है और इस तरह यह इस सिद्धान्त को नजर. अंदाज करता है कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद'। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नियम को 1983 में ही चुनौती दी गई थी पर उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया था। (सं.)

खरी-खरी

क्या बिल्डर आईपीसी से मुक्त हैं

हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता।

किसी आपराधिक मामले में सिर्फ आरोपी होने वाले व्यक्ति पर वकील के रूप में पंजीकृत होने पर रोक नहीं : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले के आरोपी को अगर उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है तो वकील के रूप में उसके पंजीकरण पर कोई रोक नहीं है।

न्यायमूर्ति शील नागु ने न केवल बार काउंसिल को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा बल्कि उसे ब्रज मोहन महाजन को 5000 रुपए का हरजाना भी देने को कहा जिसे वकील के रूप में पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई।

मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल ने ब्रज मोहन को एक आपराधिक मामले में आईपीसी की धारा 452, 352, 323, 294 में आरोपी नामजद किए जाने के कारण वकील के रूप में पंजीकरण की अनुमति नहीं। ब्रज मोहन ने इस बात को हाईकोर्ट में चुनौती दी। राज्य बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया काउंसिल का कहना था कि 1961 के अधिनियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उसे इस वजह से वकील के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पर इस फैसले पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि पर वह ऐसा मामला था जिसमें आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया गया था।

"याचिकाकर्ता को अभी तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। याचिकाकर्ता को सिर्फ किसी आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया है और अभी तक उसका दोष साबित नहीं हो पाया है। कोर्ट की राय में, याचिकाकर्ता को वकील के रूप में राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण की अनुमति देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।," कोर्ट ने कहा।

बार काउंसिल ने कोर्ट को यह भी बताया कि काउंसिल ने एक प्रस्ताव पासकर किसी आपराधिक गतिविधि के आरोपी व्यक्ति को पंजीकरण देने से रोक दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा, "एडवोकेट अधिनियम की धारा 24–। पर धारा 24(1)(म) हावी नहीं हो सकता।"

कोर्ट ने इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह पंजीकरण के लिए एडवोकेट अधिनियम की धारा 24 के तहत ब्रज मोहन के आवेदन पर दुबारा गौर करे और उन्हें अधिवक्ताओं की इस सूची में शामिल करे बशर्ते कि वे इस धारा के तहत योग्य हैं। (सं.)

राफेल मामले में भ्रष्टाचार का और कौन सा सुबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट को

सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल–सौदे पर उंगली उठा दी है। उसने सरकार से यह पूछा है कि वह उसे सिर्फ यह बताए कि इन राफेल विमानों की खरीद का फैसला कैसे किया गया है ? अदालत को इससे मतलब नहीं कि इन विमानों को तिगुना पैसा देकर क्यों खरीदा गया है और तकनीकी दृष्टि से ये कितने शक्तिशाली हैं ? अदालत का यह तर्क समझने में मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। 500 करोड़ रु. का विमान 1600 करोड़ में खरीदा जाए और आपको इस लूट–पाट की चिंता नहीं है ? कमाल है ? यह पैसा किसका है ? इस देश की गरीब जनता का है। किसी नेता या जनरल के बाप का नहीं है। यदि किसी जज का नौकर 100 रु. किलो के अनार के 300 रु. दे आए तो क्या जज साहब उससे पूछेंगे भी नहीं ?

रिलायंस कंपनी के जीएम शास्त्री भवन जासूसी कांड में जेल गए थे। मुकदमा अभी तक चल रहा है! रक्षा सौदे की जासूसी नहीं होगी क्या गारंटी ?

रक्षा डिफेंस से संबंधित कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन रिलायंस द्वारा 2014 के बाद ही क्यों किया गया

माना कि राफेल विमान, अनार नहीं है। यदि उसकी कुछ खर्चीली और अतिरिक्त सामरिक विशेषताओं को सरकार गोपनीय रखना चाहती है तो जरूर रखे लेकिन उसे मोटे तौर पर जनता को यह बताना चाहिए कि वह इन 36 विमानों के 60 हजार करोड़ रु. क्यों दे रही है? यदि इसे वह छुपाएगी तो यह बोफोर्स से हजार गुना बड़ा भ्रष्टाचार बनकर उसके गले की चट्टान बन जाएगा। वह सिर्फ 60 करोड़ का था। यह 60 हजार करोड़ का है। राजीव गांधी की चुप्पी उस भोले प्रधानमंत्री को ले डूबी लेकिन चतुर–चालाक मोदी की चुप्पी ने बेजान नेताओं की आवाज़ में जान डाल दी है।

बोफोर्स के बंद मामले को फिर से अदालत में ले जाने और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस वक्त पेरिस भेजने से इस सौदे में भ्रष्टाचार का शक बढ़ गया है। फ्रांसीसी अखबारों में पहले राष्ट्रपति ओलांद और अब दासाल्ट कंपनी के अधिकारियों के बयान छपे हैं, जो कहते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी को बिचौलिया बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार का ही था। अदालत को अब और कौन–सा प्रमाण चाहिए ? क्या प्रधानमंत्री मोदी या तत्कालीन रक्षा मंत्री पर्रिकर ने अंबानी का नाम लिखकर दासाल्ट कंपनी को दिया होगा ? ऐसे घपले कलम से नहीं होते, मुंह से होते हैं। अदालत उनका मुंह कैसे पकड़ेगी ? अदालत शायद सरकार का कान पकड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी सीधे नहीं, अपने हाथ को घुमा–फिराकर याने यदि अनिल अंबानी की दलाली की बात पकड़ गई तो फिर यह सिद्ध करने की शायद जरूरत नहीं रहेगी कि 500 करोड़ के 1600 करोड़ क्यों हुए ? लोग सारी बात अपने आप समझ जाएंगे।

साभार : पीएस

खरी-खरी

टूटी मस्जिद
बे–घर हुए राम

अब देखना होगा राजनीतिक दल कितने अपराधियों को टिकट देते हैं

हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार शरद जोशी ने करीब पच्चीस वर्ष पूर्व एक व्यंग्य लिखा 'जिसके हम मामा हैं', इसका सार यह है कि एक ठग बनारस आए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भानजा बनकर उनका माल लेकर चंपत हो जाता है। मामाजी गंगा के घाट पर तौलिया लपेटे उसे ढूंढते रहते हैं। इस व्यंग्य के माध्यम से जोशी ने मौजूदा राजनीतिक और चुनावी व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। जिस तरह वह ठग भानजा बनकर बुजुर्ग के कपड़े तक ले गया, उसी तरह आश्वासनों का झुन्झुना थमा कर नेता हर बार पांच साल के लिए चंपत हो जाते हैं और मतदाता ठगे से रह जाते हैं।

इस चुनावी ठग विद्या से मतदाताओं को सचेत करने के लिए जोशी ने इस व्यंग्य की रचना की। अब एक बार फिर यही व्यंग्य मतदाताओं के लिए कसौटी है। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घंटी बजा दी है। हालांकि राजनीतिक दल काफी पहले से ही यात्राओं और सभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दल लगभग वही होंगे। उम्मीदवारों में कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। देखना यही है कि मतदाता मामाजी की तरह झांसों के जाल में नहीं फंसें। हालांकि विधानसभा चुनाव परिणामों को देश का पूरा रूझान नहीं माना जा सकता किन्तु ये काफी हद तक लोकसभा के चुनावों को प्रभावित करने वाले साबित होंगे।

इन चुनाव परिणामों के बाद केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को नए सिरे से लोकसभा की रणनीति तय करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी के पूर्व संकेत के तौर पर पेट्रोल–डीजल के दामों में कमी सामने आ चुकी है। यदि चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे तो केंद्र सरकार से ज्यादा रियायत मिलने की उम्मीद नहीं होगी। ऐसे में यही माना जाएगा कि मतदाता केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार भी आय से अधिक भारी घाटा खाकर अधिक लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा करने से बचेगी। यदि परिणाम भाजपा के खिलाफ आए तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को ज्यादा जनोन्मुखी होने पर विवश होना पड़ेगा। जैसा कि विधानसभा चुनाव आसन्न देख कर हजारों करोड़ का घाटा सह कर भी पेट्रोल–डीजल की दरों में कटौती की है।

इससे पहले केंद्र और राज्य तरह–तरह की दलीलें देते हुए, इस कटौती से बचते रहे। चुनावों की घोषणा से पूर्व ही राजनीतिक दलों ने ऐसे वादों की पोटली खोल दी, जिन्हें खासकर सत्तारूढ़ दलों ने पांच साल रह कर भी पूरा नहीं किया। वादों की रही–सही कसर चुनावी घोषणा पत्रों में सामने आ जाएगी। मतदाताओं के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि कैसा और किस दल का उम्मीदवार चुनें। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की असलियत उजागर करने की दिशा में एक लोकतांत्रिक हथियार मतदाताओं को जरूर थमा दिया है।

उम्मीदवारों को अपने अपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मीडिया में विज्ञापनों के माध्यमों से सार्वजनिक करना होगा, जिसे राजनीतिक दल अक्सर छिपा जाते हैं। मतदाताओं के सामने अब यह स्थिति नहीं होगी कि अपराधी किस्म के उम्मीदवारों की जानकारी न हो सके और उन्हें धोखे से चुन लिया जाए। अपराधियों का टिकट काटने की बजाए राजनीतिक दल दूसरे दलों में भी ऐसा होने की दुहाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा की असली अग्नि परीक्षा तो राजनीतिक दलों को देनी होगी। देखना यही है कि राजनीतिक दल कितने आपराधिक किस्म के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारते हैं।

अभी तक सारे ही प्रमुख क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल एकमात्र आधार चुनाव जीतना ही मानते आए हैं, इसके लिए बेशक कितने ही माफिया और अपराधियों को टिकट क्यों न देना पड़े। मतदाताओं के सामने उम्मीदवारों की साफ–सुथरी छवि के अलावा यह प्रश्न भी होगा कि किसने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कराया है। यदि विकास और प्रत्याशी की उपलब्धता सहज होगी तो निश्चित तौर पर यह मतदाताओं पर असर डालेगा। साभार : पीएस

खरी-खरी

फ्री के चक्कर में लुटती जनता।

जो आप खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरों पर मत थोपिए।

मायावती कोपभवन में, राहुल गांधी का महागठबंधन का सपना टूटा

भाजपा के प्रवक्ता अकसर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर से करते हैं, यह उनकी प्रवंचना या टीवी डिबेट जीतने की शैली हो सकती है परंतु जफर केवल मुगलिया सल्तनत के पतन के ही नहीं बल्कि कमजोर नेतृत्व के भी एतिहासिक प्रतीक कहे जा सकते हैं। तख्त पर वे अवश्य बैठे थे परंतु दरबार में भी उनकी नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की चलती थी। दरबान उनके प्रवेश पर उन्हें शाह आलम बताते तो औपचारिकता में सिर झुकाए कुछ दरबारी कानाफूसी करते हुए एक दूसरे से पूछते कि 'अरे मीयां, कहां के शाह आलम' और साथ वाला उत्तर देता 'बस, लाल किला से पालम।' अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से ऐसे संकेत मिले हैं कि नेहरू, इंदिरा और सोनिया के दरबार में घिघियाये–सकुचाए से खड़े रहने वाले नेताओं व क्षत्रपों ने केवल कानाफूसी ही शुरू नहीं की बल्कि दबे स्वरों में तख्त के खिलाफ आवाज भी उठानी शुरू कर दी है। राहुल 2019 की वैतरणी पार करने को छोटे–छोटे दलों से भी गलबहियां डालने को बेताब हैं तो उनके दरबारी गठबंधन के गर्भाधान में ही रोड़े अटकाते नजर आ रहे हैं याने माँ तो दरवज्जे–दरवज्जे गोबर के चौथ बटोरती फिरे और बेटे फिरें बिटोड़े ढहाते।

लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संभावित सवारी हाथी बिदक गया है। बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी की सर्वेसर्वा मायावती ने इसका ठीकरा कांग्रेस के बहुचर्चित नेता दिग्विजय सिंह पर यह कहते हुए फोड़ा है कि इस पार्टी में कुछ जातिवादी व सांप्रदायिक मानस काम कर रहा है। जवाब में दिग्विजय ने कहा है कि मायावती केंद्रीय जांच ब्यूरो व प्रवर्तन निदेशालय से भयभीत हैं। बता दें कि मायावती के खिलाफ इन विभागों में भ्रष्टाचार के केस विचाराधीन हैं और दिग्गी राजा के कहने का भाव है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के भय से मायावती ने गठजोड़ से इंकार किया है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय इस उम्मीद में हैं कि वहां लंबे समय से सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ अब व्यवस्था विरोधी रुझान है और कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो उनकी राजनीतिक खत्म हो सकती है। बसपा राज्य में हैसियत से अधिक सीटें मांग रही थी और दिग्गी राजा नहीं चाहेंगे कि उनके सपनों की सरकार बैसाखियों पर टिकी हो। इसीलिए उन्होंने मायावती की नारा. जगी के कई बहाने पैदा करवाए जिनका परिणाम योजना अनुसार ही निकला कि बुआजी लाड़ले बबुओं से अलग हो गईं।

मायावती के राजनीतिक गुरु बाबू काशीराम कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी। वे मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकारें चाहते थे जिन पर बसपा के पैबंद लगे हों। यह सर्वविदित है कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और स्पष्ट कर चुकी हैं कि उन्हें बुआ कहो या बहनजी परंतु जब तक सत्ता की चाबी उनके हाथ आती नहीं दिखेगी तब तक वे किसी तरह के गठजोड़ का हिस्सा नहीं बन सकती। तीन राज्य में कांग्रेस के साथ गठंबधन पर टूटी बात के बारे में यही माना जा रहा है कि मायावती जितनी सीटें मांग रही थीं कांग्रेस के लिए उतनी देना संभव नहीं था।

कुछ कांग्रेसी नेताओं को यह भी भरोसा हो चला है कि वे अपने दम पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ हद तक ऐसी तस्वीर दिखती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है, जहां बसपा का साथ कांग्रेस का काम आसान करता लेकिन दिग्गी राजा जैसे कई तुनक मिजाज ने मायावती को कोपभवन भेज दिया जिससे राहुल गांधी का महागठबंधन का सपना टूटता दिख रहा है। यहां यह भी कहना बनता है कि इन तीन राज्यों में ज्यादा सीटों की मायावती की मांग अतिरेक नहीं। यहां बसपा का जनाधार है। मध्य प्रदेश में बसपा को 1993 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें मिलीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 6.42 प्रतिशत मतों के साथ बसपा के चार विधायक बने। राजस्थान में बसपा को 3.4 प्रतिशत मतों के साथ दो सीटें मिलीं तो छत्तीसगढ़ में भी पिछले चुनाव में उसे चार प्रतिशत मत मिले। वहां उसका एक विधायक भी है। मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुनील कुमार जाखड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस किसी से समझौता नहीं करेगी।

साभार : पीएस

खरी-खरी

गरीबों को समर्पित मूर्तियां उसे देखने के लिए 350 रुपए के टिकट।

सफलता पहले से की गयी तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है।

घर खरीदाने वाले घर विलंब से मिलने पर अनुबंध में निर्दिष्ट टोकन राशि से उच्च मुआवजे की मांग कर सकते हैं : एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने फैसला दिया है कि भवन निर्माता खरीदारों के साथ हुए समझौते के उस क्लॉज़ की आड़ नहीं ले सकते जिसमें कहा गया है कि अगर मकान सौंपने में विलंब हो रहा है तो विलंब की पूरी अवधि के लिए वे प्रति माह पाँच रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मुआवजा देकर बच सकते हैं। आयोग ने कहा है कि खरीदार को मकान का कब्जा लेने के बाद ज्यादा मुआवजा मांगने का विकल्प है और वह चाहे तो चुकाई गई राशि को वापस करने की मांग भी कर सकता है।

डॉ. एसएम कानितकर और दिनेश सिंह की खंडपीठ ने कहा, "देरी के लिए मुआवजे (5 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह) एक अनुचित रूप से लंबे समय तक या अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है; सबसे अच्छा यह एक छोटी अवधि के लिए हो सकता है जो उचित प्रतीत होता है। यह कहना की मकान का कब्जा मिलने में अनिश्चित काल की या अनुचित रूप से देरी हो सकती है और देरी के लिए टोकन मुआवजे का अनिश्चित काल तक के लिए भुगतान किया जा सकता है या एक अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए तो यह गलत है। देरी के लिए टोकन मुआवजे के साथ अनिश्चित या अनुचित देरी बिना किसी सीमा के हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती है (ऐसी स्थिति बेतुकी होगी)"।

एनसीडीआरसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत

एमएआर एमजीएफ द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य आयोग, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता गोविंद पॉल ने सितंबर, 2011 में एम्मार के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत मकान का कब्जा 36 महीने में सौंप दिया जाना था।

लगभग 20 महीने की देरी के बाद, पॉल ने चंडीगढ़ के उपभोक्ता आयोग से अपने भुगतान की वापसी और देरी के लिए मुआवजे की मांग की। राज्य आयोग ने तिमाही आधार पर 15प्रतिशत ब्याज की दर से 38.9 लाख रुपये की मूल राशि की वापसी का आदेश दिया था। एम्मार को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान करने को भी कहा गया। इसके अलावा निर्माता को मुकदमे पर होने वाले खर्च के हरजाने के रूप में पॉल को 25 हजार रुपए देने को कहा।

अपील का निपटारा कराते हुए एनसीडीआरसी ने कहा कि समझौते द्वारा निर्धारित 5 रुपए प्रति वर्ग फीट के मुआवजे की दर से मकान का कब्जा मिलने तक मुआवजा देने की बात अनावश्यक रूप से लंबे समय तक के लिए नहीं हो सकता है।

अदालत ने इसके बाद कहा कि इस मामले में देरी उचित या सामान्य नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने मुआवजा को बढ़ाकर 5 लाख और मुकदमेबाजी पर लागत की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया। एम्मार को चार हफ्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, और अगर भुगतान तेजी से नहीं करने पर ज्यादा मुआवजा भरने की चेतावनी दी गई। (सं.)

गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमला भाजपा के खिलाफ बड़ी साजिश!

यह समझ से परे है कि कई गैर हिन्दी भाषी राज्यों में उत्तर भारतीयों के प्रति इतनी नफरत का भाव क्यों घर कर गया है। भारत के संविधान ने जब किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी बसने और रोजी–रोटी कमाने की छूट दे रखी है तो उस पर विवाद क्यों खड़ा किया जाता है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ अकसर ही मारपीट और उनके संपत्ति या फिर वाहनों के साथ तोड़फोड़ की खबरें आती रहती थीं, लेकिन गुजरात तो ऐसा नहीं था। गैर हिन्दी शासित राज्यों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा तीखे तरीके से उत्तर भारतीयों को किसी न किसी बहाने से अपमानित करना, किसी एक व्यक्ति के अपराध के आधार पर पूरे उत्तर भारतीयों के प्रति गलत धारणा बना लेना, निश्चित तौर पर मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार और सियासी लोगों की सोच का परिणाम है। जैसा कि गुजरात में बलात्कार की एक घटना के बाद देखने को मिल रहा है, वहां इस समय उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। परिवार को सुरक्षित रखने और अपने आप को बचाने के लिये उत्तर प्रदेश–बिहार के लोग रोजी–रोटी छोड़कर पलायन को मजबूर हो रहे हैं तो इसके लिये उत्तर भारतीयों से अधिक वह लोग जिम्मेदार हैं जो अपने आप को इन लोगों के बराबर खड़ा नहीं कर पाते हैं। मेहनत से डरते हैं। महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात दोनों के विकास में उत्तर भारतीयों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। (एजेंसी)

महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।

रिटेल बैंकिंग को नयी दिशा देने वालीं चंदा कोचर को भारी पड़ा हितों का टकराव

देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक की सीईओ चंदा कोचर को आखिर अपने पद से हाथ धोना पड़ा। बैंक में 34 साल का उनका लंबा सफर यूँ खत्म होगा इसका शायद उन्हें भी अंदेशा नहीं रहा होगा। चंदा कोचर वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने में अनियमितता बरते जाने के मामले का सामना कर रही हैं। मामले का खुलासा होने के बाद ICICI बैंक ने जाँच बैठाने का ऐलान किया था और चंदा कोचर को 18 जून, 2018 से लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था और यह लंबी छुट्टी आखिरकार बैंक की सीईओ और प्रबंध निदेशक पद से उनकी छुट्टी ही करा गयी। ICICI बैंक ने संदीप बक्शी को नया MD और CEO बनाया है। उनको 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। बैंक के मुताबिक चंदा कोचर के खिलाफ चल रही जांच पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चंदा कोचर के इस्तीफे की खबर के बाद ICICI बैंक के शेयर में तेजी आ गई।

दरअसल चंदा कोचर से ICICI बैंक जल्द से जल्द इसलिए भी निजात पाना चाहता था क्योंकि जस्टिस श्रीकृष्णा आयोग के नेतृत्व में चल रही जाँच खिंचती चली जा रही थी जिससे बैंक के शेयरों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। यही नहीं बैंक के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद अब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट रूल से मुक्त हो गयी हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकती हैं। चंदा कोचर को भी इस्तीफे की राह ही आसान लगी क्योंकि जिस तरह नये तथ्य सामने आते जा रहे थे उससे साफ लग रहा था कि श्रीकृष्णा आयोग की रिपोर्ट में उन्हें किसी तरह की क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है। दुर्भाग्यूपर्ण है कि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक के विश्वास को कायम नहीं रख पाईं और कथित रूप से वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनकी विदाई हुई।

बड़ी प्रेरणास्त्रोत आखिर कैसे विवादों में घिरीं

चंदा कोचर ने जिस तरह 1984 में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर ICICI बैंक से कॅरियर की शुरुआत करके इसके सीईओ और एमडी पद तक का सफर तय किया उसके चलते वह देश–विदेश में महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरी थीं। खुद चंदा कोचर ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रयास किये। बैंक के कारोबार को देश और विद. श में नयी ऊँचाई पर पहुँचाया और बैंक की शाखाओं का ही विकास नहीं किया बल्कि तकनीक के उपयोग के मामले में भी ICICI बैंक अन्य बैंकों से काफी आगे निकल गया। कोचर को 1 मई 2009 को आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ बनाया गया था और उन्होंने भारत में रिटेल बैंकिंग को नयी दिशा देने में बड़ा योगदान दिया। चंदा कोचर का नाम कई बार वैश्विक पत्रिकाओं ने दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी शुमार किया।

लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बढ़ते एनपीए जब खतरे के निशान से ऊपर जाने लगे और वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने के मामले में हितों के टकराव का मुद्दा सामने आया तो सिर्फ चंदा कोचर की ही नहीं बल्कि पूरे बैंक की छवि प्रभावित हुई। अगर इस मामले को समझने का प्रयास करें तो जो कुछ बातें स्पष्ट तौर पर नजर आती हैं वह यह हैं कि–

–दिसंबर 2008 में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने नू पावर रिन्यूएबल नाम की कंपनी का गठन वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणु गोपाल धूत के साथ मिलकर किया।

–जनवरी 2009 में वेणु गोपाल धूत ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया और अपने हिस्से के 25 हजार शेयर दीपक कोचर को 2.5 लाख रुपए में हस्तांतरित कर दिये।

–मई 2009 में चंदा कोचर ने ICICI बैंक की सीईओ और एमडी का पद संभाला।

–इसके बाद मार्च 2010 में भी कुछ नई कंपनियों के गठन और शेयरों के हस्तांतरण का खेल चला।

–वर्ष 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया।

–वर्ष 2016 में व्हिसलब्लोअर अरविंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख कर वीडियोकॉन समूह को कर्ज मंजूरी प्रक्रिया में अनियमितता की बात सामने रखी।

–वर्ष 2017 में वीडियोकॉन कंपनी के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।

–मार्च 2018 में सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंदा कोचर के पास भी नू पावर रिन्यूएबल कंपनी में हिस्सेदारी तब से थी जब वह 2008 में आईसीआईसीआई बैंक की संयुक्त प्रबंध निदेशक थीं। (डेस्क)

जब सोचना ही है, तो क्यों न बड़ा सोचो?

प्रतिभाओं के देश में हो रहा है प्रतिमाओं का बोलबाला

हमारा देश प्रतिमाओं के दीवानों की धरती है। हाल ही में देश की एकता को पुनः समाहित करने के लिए लगभग तेईस सौ करोड़ रुपए खर्च कर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। एक और विशाल प्रतिमा मुंबई के समंदर में निकट भविष्य में प्रस्तुत होने वाली है। प्रतिमा, प्रतिमान शब्द का ही एक रूप है। प्रतिमान का अर्थ परछाई, प्रतिमा, प्रतिमूर्ति, चित्र भी है। 'वह वस्तु या रचना जिसे आदर्श या मानक मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएँ बनाई जाएं'। हमारा देश व समाज प्रतिमा पूजक भी है और व्यक्ति पूजक भी। प्रतिमा का मुक़ाबला आदमी नहीं कर सकता हां वह नए मानक गढ़ सकता है। हमारे यहां वह प्रतिमा से बड़ा, महत्वपूर्ण, महान, महंगा नहीं हो सकता।

प्रतिमाओं को बनाने में तकनीक का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। वह तेज़ चलने वाली हवाएँ झेल सकती है, भूकंप का सामना कर सकती है, बाढ़ में खड़ी रह सकती है। इनके सामने आम आदमी की क्या औकात। उसे तो स्वतन्त्रता के सात दशक बाद भी जीवन की आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए जूझना पड़ता है। खैर यहाँ बात इन्सानों की नहीं हो रही।

हमारे यहां ज़्यादातर प्रतिमाएं राजनीतिक व धार्मिक आधार पर लगाई जाती हैं। यह दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां महात्मा बुद्ध और बाबा अंबेडकर की हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाएं दुनिया के 71 से अधिक देशों में हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अवसरवादी व स्वार्थी सोच के आधार पर पार्क बनाने और उसमें मूर्तियां स्थापित करने का अपना इतिहास है। इनमें देश के पैसे का खूब दुरुपयोग होता है। मूर्तियां तोड़ने व कालिख पोतने के कितने ही किस्से हैं जिनमें नए किस्से जुड़ते जाते हैं। यह किस्से न्यायालयों के आँगन में बरसों पढ़े जाते हैं। वैसे देखने में आया है कि आम तौर पर प्रतिमाएं श्रद्धा, भक्ति, ईमानदारी के साथ साथ उत्कृष्ट सामग्री से बनाई जाती हैं और बनते बनते ढह जाने वाले पुलों जैसी नहीं होतीं।

यह भी सत्य है कि लगभग सभी प्रतिमाओं की देख रेख का अच्छा रिकार्ड नहीं है। गांधीजी की मूर्ति लगभग साल भर पूरी तरह से उपेक्षित रहती है। उनका जन्मदिन आने से पहले ही प्रशासन या गांधी प्रेमियों में उनके बुत को साफ कर रंग रोगन करने या उनका चश्मा ठीक करवाने का विचार जन्म लेता है। कितनी ही प्रतिमाएँ तो स्थापित होने के बाद वस्तुतः विस्थापित कर दी जाती हैं। देश के कोने–कोने में नई प्रतिमाएं स्थापित होती रहती हैं इस बहाने रोजगार ज़रूर मिलता रहता है।

इतनी बड़ी प्रतिमा पर धन खर्च करने की बजाय सरकार को यह पैसा राज्य के किसानों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए था। गरीब परिवार यहाँ भूखे पेट जिंदगी गुज़ार रहे हैं। बीबीसी इस बात को नहीं समझती कि हमारे यहाँ महापुरुषों को याद करना, उनकी विश्व स्तरीय प्रतिमाएं बनाना, उनकी याद में ख़र्चीले आयोजन करना राष्ट्रभक्ति का एक अहम हिस्सा है। क्या राष्ट्रभक्ति और राजनीति एक ही वस्तु होती है। किसी भी देश में अपनी मातृभूमि के लिए अथक काम करने वालों की कमी नहीं होती, सैंकड़ों लोग राष्ट्र व समाज के लिए निस्वार्थ बिना किसी लालच, द्वेष या मान्यता के निरंतर जुटे रहते हैं। क्या प्रतिमा स्थापित होने से ही देश के स्वाभिमान व गौरव के बारे में दुनिया को पता चलता है। क्या सभी की वस्तुस्थिति से दूसरे सब परिचित नहीं है। कोई देश अपनी लाख शेख़ी बखार ले दूसरे देश भी तो समझने की बुद्धि रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मूर्तियों नहीं, भारत में प्रदूषण से मरने वाले बच्चों की मौत के जो आंकड़ें दिए हैं उनको जानकार हमारे स्वर्गवासी राष्ट्रनायकों की आत्मा खुश तो नहीं होगी। इन आंकड़ों की वजह से प्रतिमाओं पर करोड़ों खर्चने वाला यह देश नाइजीरिया, पाकिस्तान और कांगो जैसे गंभीर समस्याओं से ग्रस्त देशों की श्रेणी में नायक है। डब्ल्यूएचओ का सर्वेक्षण कहता है कि 2016 में भारत में ज़हरीली हवा के कारण एक लाख दस हज़ार बच्चे असमय मृत्यु का ग्रास बने हैं। क्या कोई भी राजनीतिक दल इस बात को मुद्दा मानता है। क्या भविष्य में चुनाव जीतने वाले दल अपने नेताओं की प्रतिमाएं निर्मित करने का ख्वाब नहीं देख रहे होंगे। संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके अपने देश में है, उनके लिए जबर्दस्त प्रेरणा साबित होगी। क्या प्रतिमाएँ ही राजनीतिक विकास का नया प्रतिमान बनी रहेंगी।

(साभार : बीबीसीडाटकॉम)

खरी-खरी

सीबीआई के बाद आरबीआई पर सरकार का शिकंजा

अति से अमृत भी विष बन जाता है।

लैंगिक समानता की सिर्फ बातें होती हैं, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं

अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसका शीर्षक था, ''रन लाइक अ गर्ल'' अर्थात् एक लड़की की तरह दौड़ो, काफी सराहा गया जिसमें 16–28 साल तक की लड़कियों या फिर इसी उम्र के लड़कों से जब "लड़कियों की तरह" दौड़ने के लिए कहा गया तो लड़के तो छोड़िए लड़कियाँ भी अपने हाथों और पैरों से अजीब अजीब तरह के ऐक्शन करते हुए दौड़ने लगीं। कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि उनके अनुसार "लड़कियों की तरह दौड़ने" का मतलब "कुछ अजीब तरीके से" दौड़ना होता है। लेकिन जब एक पाँच साल की बच्ची से पूछा गया कि अगर तुमसे कहा जाए कि लड़कियों की तरह दौड़ कर दिखाओ तो तुम कैसे दौड़ोगी? तो उसका बहुत ही सुन्दर जवाब था, "अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ"।

मतलब साफ़ है कि एक पांच साल की बच्ची के लिए "दौड़ने" और "लड़कियों जैसे दौड़ने" में कोई अंतर नहीं है लेकिन एक व्यस्क लड़के या लड़की के लिए दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ गौर करने वाले दो विषय हैं पहला यह कि बात केवल महिलाओं के प्रति समाज के नजरिये की ही नहीं है बल्की खुद महिलाओं की स्वयं अपने प्रति उनके खुद के नजरिये की है दूसरा यह कि यह नजरिया एक बच्ची में नहीं दिखता। 21वीं सदी में, आज जब हम केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर वर्तमान की अपनी इस मानव सभ्यता को आंकते हैं तो निश्चित ही स्वयं को इतिहास में अब तक की सबसे विकसित सभ्यता होने का दर्जा देते हैं। लेकिन फिर भी जब इस तथाकथित विकसित सभ्यता में लैंगिक समानता की बात आती है तो परिस्थितियां केवल भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बेहद निराशाजनक हैं। क्योंकि बात दरअसल यह है कि आज भी महिलाओं को उनकी "योग्यता" के आधार पर नहीं, बल्कि उन्हें एक "महिला होने" के आधार पर ही आंका जाता है। आज भी देखा जाए तो विश्व में कहीं भी महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति न के बराबर है। (साभार : पीएस)

व्यभिचार को रोकने की बजाय अदालत ने पुरुषों को छूट दे दी?

सर्वोच्च न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साथ फैसले दे दिए हैं कि उन सब पर एक साथ टिप्पणी कैसे की जाए ? आधार, अनुसूचितों की पदोन्नति, मस्जिद और नमाज़ तथा विवाहेतर शारीरिक संबंधों की छूट आदि ऐसे गंभीर और उलझे हुए मामले हैं कि इन पर सर्वसम्मति होनी काफी मुश्किल है। अदालत के फैसलों को लोग मान ही लें, यह जरूरी नहीं है। सैकड़ों कानून ऐसे हैं, जो बस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका पालन उनके उल्लंघन द्वारा होता है। कुछ मामले ऐसे हैं, जिनके बारे में कोई कानून नहीं है लेकिन उनका पालन किसी भी कानून से ज्यादा होता है। इसीलिए सदियों से दार्शनिक लोग इस प्रश्न पर सिर खपाते रहे हैं कि कानून बड़ा है या नैतिकता ? लोग कानून को ज्यादा मानते हैं या नैतिकता को ?

कानून के उल्लंघन पर सजा तभी मिलती है, जबकि आप पकड़े जाएं और आपके विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाए लेकिन अनैतिक कर्म की सजा से वे ही डरते हैं, जो भगवान के न्याय में या कर्मफल में विश्वास करते हैं। अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने द्विपक्षीय सहमति से होने वाले काम–संबंध की छूट दे दी है। इसे कानून और नीतिशास्त्रों में अभी तक व्यभिचार कहा जाता रहा है। अदालत का जोर सहमति शब्द पर है। सहमति याने रजामंदी। क्या विवाह अपने आप में सतत और शाश्वत सहमति नहीं है ? यदि पति–पत्नी इस रजामंदी को जब चाहें, तब भंग करके किसी के साथ भी सहवास करें तो परिवार नाम की संस्था तो जड़ से उखड़ जाएगी।

बिना जूनून के आपके अन्दर उर्जा नहीं रहती, बिना उर्जा के आपके पास कुछ नहीं होता।

अयोध्या और सबरीमाला के जरिये चुनावी नैया पार लगाना चाहती है भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनावों में राफेल, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों की काट निकालने के लिए ही राम मंदिर का मुद्दा उछाला है। आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति तैयार की गयी है, राममंदिर का मुद्दा उसी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने और केंद्र में सत्तारुढ़ होने के कारण भाजपा इस पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। राम मंदिर मुद्दे की गेंद संघ परिवार के पाले में डाली गई है। सोची–समझी रणनीति के तहत संघ परिवार को इसमें आगे लाया गया है। यही वजह है कि संघ के प्रचारक सहित अन्य आनुषांगिक संगठन इस मुद्दे पर आगामी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं भाजपा के मंत्री और पदाधिकारी इस मुद्दे पर तोतारटंत जवाब, जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसी दलील देकर इसमें सीधे दखल देने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को यह अच्छी तरह पता है कि अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें सीधे दखलंदाजी नहीं की जा सकती। इसमें अवमानना का खतरा है। इस मुद्दे पर अध्यादेश भी आसानी से नहीं लाया जा सकता। अध्यादेश के लिए सहयोगी गठबंधन दलों की सहमति जरूरी है। सहयोगी दल पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा।

गठबंधन दलों को साथ लेकर चलना आगामी चुनावों की मजबूरी है। वैसे भी पार्टी अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट से कोई रार नहीं करना चाहती। सबरीमाला के मुद्दे पर दबे–छिपे तरीके से विरोध को लेकर पार्टी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। राफेल और सीबीआई सहित कई बड़े और सरकार को प्रभावित करने वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। हालांकि केंद्र सरकार आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का दांव खेल गई। यह मुद्दा सीधे भाजपा के खिलाफ जा रहा था। पार्टी के ही सांसद और विधायक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध कर रहे थे।

इससे अनुसूचित जाति–जनजाति के वोट बैंक खिसकने का खतरा मंडरा रहा था। विपक्ष भी इस मुद्दे पर चकरघिन्नी बन गया था। देश में हुए विरोध आंदोलन के मद्देनजर विपक्ष ने भी कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलने की मांग उठाई। राम मंदिर का मुद्दा उठाने के मामले में हालात ऐसे नहीं हैं। इसमें पार्टी को फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। दरअसल भाजपा को इस मुद्दे से हवा सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर लोगों को उकसाने के बाद मिली है। सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में स्थानीय लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। यह मामला अभी तक केरल की मार्क्सवादी सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। केरल की पी विजयन सरकार ना तो लोगों का विरोध झेल पा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करा पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से भाजपा ने इसमें भी सीधे जुड़ने से बचने की गली तलाश ली। स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया, जबकि राष्ट्रीय स्तर के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री जो दलील राम मंदिर के मामले में दे रहे हैं, वही सबरीमाला में भी दी है। इसे राम मंदिर की तरह जन भावना का निर्णय करार दिया है ताकि दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तलवार से बचा जा सके। सबरीमाला प्रकरण में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को समर्थन देकर भाजपा ने इस पर लिटमस टेस्ट भी कर लिया। भाजपा को राजनीतिक रूप से इससे फायदा हुआ। केरल सरकार विवादों में घिर गई।

सबरीमाला मामले में भाजपा केरल में काफी हद तक ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही है। इससे मिली सफलता से ही पार्टी राम मंदिर को फिर से उठा रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता में होने के कारण संघ परिवार को इसमें आगे किया गया है। संघ के संगठनों ने मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाने के लिए आगामी छह महीने का समय निर्धारित किया है। इसी अवधि में विधान सभा और लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पता भी चल जाएगा कि राम मंदिर का मुद्दा उठाना पार्टी के लिए कितना फायदेमंद रहा। यदि परिणाम अपेक्षित रहे तो इसे लोकसभा तक खींचा जाएगा।

केंद्र की भाजपा सरकार इन दिनों राफेल और विकास के दूसरे मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। राफेल के मामले में कांग्रेस लगातार नए–नए आरोप लगा रही है। इसके अलावा डीजल–पेट्रोल, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार और पार्टी की घेराबंदी कर रखी है। इन मुद्दों पर विपक्ष और देश के लोगा. ं की अपेक्षाएं पूरा करना आसान नहीं है। इसके अलावा विधान सभा चुनावों में एंटीइनक्मबेंसी भी मौजूद रहेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा की वापसी आसान नहीं मानी जा रही। विधान सभा के चुनाव परिणाम भी काफी हद तक इन राज्यों में लोकसभा के परिणामों को प्रभावित करेंगे।

इस राह को आसान बनाने के लिए पार्टी विकास और राम मंदिर के मुद्दे का कॉकटेल तैयार कर रही है। केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के किए विकास का सोशल मीडिया सहित हरसंभव तरीके से प्रचार किया जा रहा है। इसके बावजूद पार्टी चुनावों में बहुमत हासिल करने को लेकर आश्वस्त नहीं है। पार्टी और सरकार को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं है कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर फिर से सत्ता पाई जा सकती है। कारण भी स्पष्ट है विकास के विभिन्न मोर्चों पर सरकार को इतनी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इससे बने हुए अंतर को भरने के लिए उठाए गए राममंदिर जैसे भावनात्मक और धार्मिक मुद्दे का विपक्ष के लिए विरोध करना आसान नहीं है। विपक्ष की मजबूरी यह है कि देश में व्यापक जनभावना का मुद्दा होने के कारण यही नहीं कहा जा सकता कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। (साभार : पीएस)

खरी-खरी

चुनाव तक तेल के दाम
कम बाद में बढ़ना चालू

हम आज वो करते हैं जो वे नहीं करेंगे, इसलिए कल हम वो पाते हैं जो वे नहीं पा सकते।

पाप बढ़ा जब–जब धरती पर आये बारंबार

राजेश्वर राय 'दयानिधि'

सहस्त्रों साल से संसार में.....शोषित जो नारी है
वो साबित कर चुकी है अब नहीं हरगिज़ बेचारी है
बहुत गहरा है दिल उसका समन्दर की तरह स्थिर
बड़ी हो जाये जितनी भी.....नहीं शेखी बघारी है
पिता–माता–पती–पोतों–बहू–बच्चों सभी से ही
हज़ारों दर्द पा करके भी हर रिश्ते सम्हारी है
बहू बनकर गिरा घूँघट ये लाखों जुल्म सह डाली
बहुत आजिज़ हुई है जा के तब चिलमन उघारी है
शिफ़ा इतनी है हाथों में.....गले महबूब के डाले
तो उसके जिस्म–ओ–जां की दूर होती हर बिमारी है
ये खुद मिट करके भी ना टूटने देती है घर अपना
बचाने के लिए ही आबरू.....बनती बज़ारी है
कठिनतम् काम में भी अब नहीं पीछे किसी से ये
उड़ाये जेट–चलाये तोप.....करती शह सवारी है
कलेजा चाक हो जाता है.....माँ की याद आने पर
खिला हमको वो अक्सर अपने खुद भूखे गुज़ारी है
थपेड़े खा ज़माने के ये नारी.....बन चुकी है नग
संवारा खुद को, उसके साथ दुनिया भी सँवारी है
ये दुनिया 'राज' क़ायम है तभी तक, जब तलक ऊपर
नियामत उस खुदा की है.....सलामत नीचे नारी है

राजेश्वर राय 'दयानिधि'
बी–59/गरिमा गार्डन /साहिबाबाद
गाजियाबाद /उत्तर प्रदेश 201005
8800201131/9540276160

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- **वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।**
- **लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।**
- **लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।**
- **गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।**
- **अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।**
- **लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।**
- **पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।**
- **धार्मिक जागरुकता फैलाना।**

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ।प्र।
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : **lokjagriti@gmail.com**

मनुष्य सबसे क्रूर जानवर है।

किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे रहें, प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी

संवेदना शून्य होती सामाजिक एवं व्यक्तिगत संरचना के दौर में एक ऐसी मानवीय संरचना की आवश्यकता है जहां इंसान और उसकी इंसानियतता दोनों बरकरार रहे। इसके लिये मनुष्य को भाग्य के भरोसे न रहकर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता बल्कि सफलता का सूत्राधार है पुरुषार्थ। जैसा कि जीन–पॉल सात्रे ने महसूस किया था– ''हर मानवीय प्रयास, चाहे वह कितना भी एकल लगे, उसमें पूरी मानव जाति शामिल होती है।''

इंसान का अपना प्रिय जीवन–संगीत टूट रहा है। वह अपने से, अपने लोगों से और प्रकृति से अलग हो रहा है। उसका निजी एकांत खो रहा है और रात का खामोश अंधेरा भी। इलियट के शब्दों में, ''कहां है वह जीवन जिसे हमने जीने में ही खो दिया।'' फिर भी हमें उस जीवन को पाना है जहां इंसान आज भी अपनी पूरी ताकत, अभेद्य जिजीविषा और अथाह गरिमा और सतत पुरुषार्थ के साथ जिंदा है। इसी जिजीविषा एवं पुरुषार्थ के बल पर वह चांद और मंगल ग्रह की यात्राएं करता रहा है। उसने महाद्वीपों के बीच की दूरी को खत्म किया है। वह अपनी कामयाबियों का जश्न मना रहा है फिर भी कहीं न कहीं इंसान के पुरुषार्थ की दिशा दिग्भ्रमित रही है कि मनुष्य के सामने हर समय अस्तित्व का संघर्ष कायम है। हालांकि इस संघर्ष से उसको नयी ताकत, नया विश्वास और नयी ऊर्जा मिलती है और इसी से संभवतः वह स्वार्थी बना तो परा. पकारी भी बना। वह क्रूर बना तो दयालु भी बना, वह लोभी व लालची बना तो उदार व अपरिग्रही भी बना। वह हत्यारा और हिंसक हुआ तो रक्षक और जीवनदाता भी बना। आज उसकी चतुराई, उसकी बुद्धिमता, उसके श्रम और मनोबल पर चकित हो जाना पड़ता है। इस सबके बावजूद जरूरत है कि इंसान का पुरुषार्थ उन दिशाओं में अग्रसर हो जहां से उत्पन्न सद्गुणों से इंसान का मानवीय चेहरा दमकने लगे। इंसान के सम्मुख खड़ी अशिक्षा, कुपोषण और अन्य जीने की सुविधाओं के अभाव की विभीषिका समाप्त हो। वह जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर अग्रसर हो। सत्य, अहिंसा, सादगी, सच्चाई और मनुष्यता के गुणों के बारे में उसकी आस्था कायम रहे।

कहते हैं एक बार इंद्र किसी कारणवश पृथ्वीवासियों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि बारह वर्ष तक वर्षा नहीं करनी है। किसी ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच बारह वर्ष तक बरसात नहीं होगी। इंद्र ने कहा– हां, यदि कहीं शिवजी डमरू बजा दें तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने जाकर शिवजी से निवेदन किया कि भगवन्! आप बारह वर्ष तक डमरू न बजायें। शिवजी ने डमरू बजाना बंद कर दिया। तीन वर्ष बीत गए, एक बूंद पानी नहीं गिरा। सर्वत्र हाहाकार मच गया। एक दिन शिव–पार्वती कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान हल–बैल लिए खेत जोत रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों किसान के पास गए और कहने लगे–क्यों भाई! जब आपको पता है कि आने वाले नौ वर्षों में भी बरसात नहीं होगी तो तुम खेत की जुताई क्यों कर रहे हो? किसान ने कहा– वर्षा को होना न होना मेरे हाथ में नहीं है लेकिन मैंने यदि हल चलाना छोड़ दिया तो बारह साल बाद न तो मुझे और न ही मेरे बैलों को हल चलाने का अभ्यास रहेगा। हल चलाने का अभ्यास बना रहे इसलिए हल चला रहा हूं। किसान की बात सुनकर पार्वती ने शिवजी से कहा कि स्वामि! तीन साल हो गए आपने डमरू नहीं बजाया, अभी नौ साल और नहीं बजाना है। देखो! कहीं आप भी डमरू बजाने का अभ्यास न भूल जाएं। शिवजी ने सोचा– बात तो सही है। डमरू बजाकर देख लेना चाहिए। वे डमरू बजाकर देखने लगे। उनका डमरू बजते ही पानी झर–झर बरसने लगा।

उक्त कथा का सार संदेश यही है कि मनुष्य को अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। किसी काम में सफलता मिलेगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। भविष्य में क्या होने वाला है, सब अनिश्चित है। यदि कुछ निश्चित है तो वह है व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ। सफलता मिलेगी या नहीं इसकी चिंता छोड़कर केवल अपना काम करता चले। सफलता मिल गई तो वाह–वाह और यदि नहीं भी मिली तो भी मन को इतना संतोष तो रहेगा कि जितना मुझे करना था वह मैंने किया। यह संतोष भी एक प्रकार की सफलता ही है। एलिन की ने एक बार कहा था– ''भविष्य के बारे में बताने का बेहतरीन तरीका है उसे खुद गढ़ना।'' यह आवश्यक नहीं है कि सफलता प्रथम प्रयास में ही मिल जाए। (एजेंसी)

दिखावटी देशभक्ति के पाखण्ड से बचिए

विधान सभा चुनाव : दांव पर भाजपा की प्रतिष्ठा

पांच राज्यों में से तीन बड़े हिन्दी शासित राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव ने देश का सियासी पारा बढ़ा रखा है, जिन पांच राज्यों– मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस यहां वापसी के लिये हाथ–पैर मार रही है। इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लगातार दौरों के चलते यह तीन राज्य खूब चुनावी सुर्खिंया बटोर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200 और छत्तीसगढ़ की 90 सीटें शामिल हैं। इन तीन राज्यों के चुनाव में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां भाजपा की सत्ता में वापसी सर्वाधिक मुश्किल मानी जा रही है। यहां 1993 से अदल–बदलकर सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी आलाकमान ही नहीं आश्वस्त नजर आ रहा है, तमाम मीडिया सर्वे भी उसी के पक्ष में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत नहीं भी मिला तो वह सबसे बड़ी पार्टी बन कर जरूर उभरती दिख रही है।

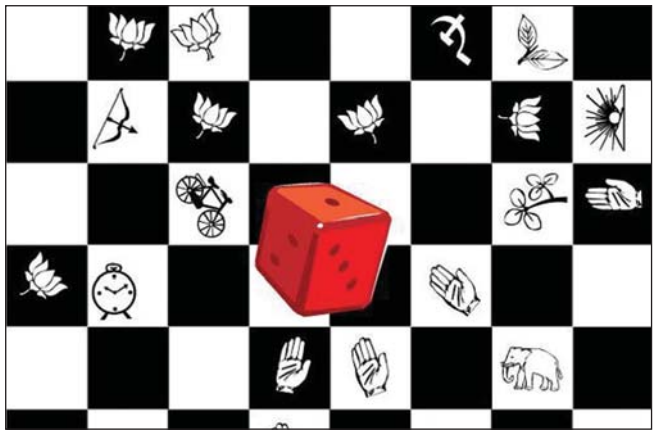

राजस्थान के सियासी माहौल ने बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कने इस लिये बढ़ा रखी हैं क्योंकि यहां की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राज्य में अपने पार्टी विरोधियों को लगातार हासिये पर डाले रखा तो, दिल्ली के नेताओं को भी कभी खास तवज्जो नहीं दी। शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव से पूर्व कहीं भी हार का मुंह नहीं देखना चाहता है। असल में राजस्थान में पारम्परिक रूप से एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनती रही है। इस हिसाब से अबकी कांग्रेस की बारी लग रही है, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इस मिथक को तोड़ देना चाहता है। कुल मिलाकर इन तीन राज्यों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है तो बीजेपी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।

उक्त तीन राज्यों के विधान सभा चुनावों को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। मोदी को यही से घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो भी यहां जीतेगा, वह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मैदान में सिकंदर की तरह उतरेगा। चुनाव भले ही तीन राज्यों का हो, लेकिन यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राज्य सरकारों के कामकाज की जगह मोदी और उनकी सरकार की चर्चा सबसे अधिक कर रहे है। बीजेपी लगातार 15 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आगे कर बीजेपी को चुनौती पेश की है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा ही है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपने चुनावी दौरे के दौरान जगह–जगह जनसभाओं में राफेल डील को भ्रष्टाचार का खुला मामला बता रहे हैं। पीएम मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई विवाद को भी हवा दी जा रही है। राफेल पर तो राहुल गांधी यहां तक कहते फिर रहे हैं कि अगर राफेल विवाद मामले की जांच होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। राहुल गांधी की इंदौर प्रेस कांफ्रेस के दौरान एक पत्रकार ने बार–बार जनता के बीच 'चौकीदार चोर है' कहने के सवाल किया तो राहुल ने कहा, 'मोदी जी को भ्रष्ट सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, बल्कि वह वाकई भ्रष्ट हैं। इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।' राहुल गांधी ही मोदी और बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं। उनको भी उन्हीं की भाषा में बीजेपी द्वारा जवाब दिया जा रहा है। राहुल के ऊपर मानहानि तक का केस दर्ज हो चुका है। गत दिनों झाबुआ में रैली के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर और व्यापम का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र की जोड़ी पर निशाना साधा था। इसपर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स में मेरे बेटे कार्तिकेय का नाम लेकर सारी हदें पार कर दीं। मध्य प्रदेश के सीएम ने ट्वीट में कहा था कि वह राहुल गांधी पर मानहानि केस करने जा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सफाई सामने आ गई, लेकिन कार्तिकेय ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा ही दिया।

राहुल के ऊपर बीजेपी वाले तो हमलावर हैं ही उन्हें अपना 'घर' भी संभालना पड़ रहा है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी की सुगबुगाहट ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के बीच खाई पैदा कर दी है। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तीखी कहासुनी हो गई। शुरुआती बहस कुछ ही देर में तीखी नोक–झोंक में बदल गई। दोनों में काफी समय तक तू तू मैं मैं भी चलता रहा। दोनों के बीच जब बात नहीं बनी तो विवाद सुलझाने के लिए राहुल गांधी को तीन सदस्यीय समिति बनानी पड़ी। सिंधिया और दिग्विजय की खुली जंग से राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। (साभार : पीएस)

खरी-खरी

उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी से चाइनीज फ्रांसीसी क्यों नहीं घोषित कर दी जाती। विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है

काम के आदमी के साथ आपकी बात संक्षिप्त और व्यापक होनी चाहिए।

सबरीमाला : आदिवासियों ने लगाया रीति–रिवाज खत्म करने का आरोप

निलक्कल/पत्तनमतिट्टा (केरल)। प्राचीन सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले का, पहली बार मासिक पूजा के लिए मंदिर खुलने से पहले कई श्रद्धालुओं ने विरोध किया जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अयप्पा मंदिर में रजस्वला आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति संबंधी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन के कारण दो महिला श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच सकीं। भगवान अयप्पा के मंदिर जाने के लिए सबरीमला पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही आंध्र प्रदेश की 50 वर्ष से कम आयु की एक महिला को पुरूष श्रद्धालुओं के प्रदर्शन के कारण पम्बा वापस लौटना पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस ने महिला को सुरक्षा मुहैया कराई थी लेकिन प्रदर्शन के कारण उन्हें लौटना पड़ा।

शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद सबरीमला जा रही अलपुझा जिले की 50 वर्ष से कम आयु की एक महिला को पत्तनमतिट्टा बस अड्डे पर यात्रियों ने रोक दिया। अयप्पा मंत्र का जाप कर रही कुछ महिलाओं सहित यात्रियों ने लिबी नाम की इस महिला से कहा कि वह रजस्वला आयुवर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश नहीं करने की सदियों पुरानी परंपरा को ना तोड़े। लिबी ने कहा कि वह मंदिर जाएगी और शीर्ष अदालत से मिली आजादी को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। बाद में पुलिस ने उसे बस अड्डा से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने सबरीमला पहाड़ी पर स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर जाने के तीनों महत्वपूर्ण रास्तों पम्बा, निलक्कल और एरूमेलिते पर सुरक्षा कड़ी कर दी है।

अयप्पा मंदिर में रजस्वला आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के फैसले के खिलाफ निलक्कल में प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तिरूवनंतपुरम में केरल के पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने कहा कि राज्य में किसी को कानून–व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रजस्वला आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का विरोध कर रहे श्रद्धालुओं के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग के कुछ घंटे बाद ही सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी निलक्कल में जुट गए। सबरीमला का गेटवे कहलाने वाले निलक्कल में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी एकत्र हैं जहां तेजतर्रार दक्षिणपंथी हिन्दू नेता के. पी. शशिकला उन्हें संबोधित करेंगी। कांग्रेस भी निलक्कल में धरना देगी।

इससे पहले बुधवार की सुबह सबरीमला मंदिर में रजस्वला आयुवर्ग की लड़कियों और महिलाओं को प्रवेश की अनुमति का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद मंदिर जाने के मुख्य रास्ते निलक्कल में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सबरीमला पहाड़ी से करीब 20 किलोमीटर दूर निलक्कल में बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के प्रवेश संबंधी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समूह 'सबरीमला आचार संरक्षण समिति' के तंबू आदि भी हटा दिए। अयप्पा स्वामी मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के 28 सितंबर के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कुछ श्रद्धालु धरना दे रहे हैं और अयप्पा मंत्र का जप कर रहे हैं।

बुधवार तड़के जब प्रदर्शनकारियों ने मंदिर तक जाने के मुख्य रास्ते पर बसों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को उनके खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही वहां बेहद कम संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारी भाग निकले। मासिक पूजा के लिए मंदिर खुलने से कुछ घंटे पहले पुलिस ने कहा कि वह किसी को भी लोगों के आने–जाने में अवरोध पैदा नहीं करने देगी। निलक्कल का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेते हुए पुलिस ने अयप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते में अवरोध पैदा करने वालों को चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने पम्बा जाने वाले वाहनों को जांचा और उनमें सवार 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर जाने से रोक दिया। इस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। साभार : पीएस

खरी-खरी

न्यायाधीशों को हिन्दी नहीं आती तो वह इनकी समस्या है हमारी नहीं।

न्याय का प्रबंध सरकार का सबसे मजबूत स्तम्भ है।

विषमता में जकड़ा देश

भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है और सरकार इस असमानता को दूर करने की दिशा में कोई कदम भी नहीं उठा पा रही। गैर.सरकारी संगठन ऑक्सफैम और डिवेलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा इस संबंध में तैयार वैश्विक सूचकांक भारत सरकार की नीतियों और हाल की विकास प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा करता है। इस सूचकांक में सामाजिक खर्च कर ढांचा और श्रमिकों के अधिक. ार संबंधी नीतियों के आधार पर 157 देशों की रैंकिंग की गई है जिसमें डेनमार्क सबसे कम विषमता के साथ शीर्ष पर है। जबकि भारत का मुकाम 147वां यानी लगभग तली में है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया नामीबिया और उरुग्वे जैसे देश असमानता दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं लेकिन भारत और नाइजीरिया जैसे देशों का प्रदर्शन इस मामले में काफी खराब है। सूचकांक में 56वें पायदान पर स्थित दक्षिण कोरिया के प्रयासों को रिपोर्ट में खास तौर से रेखांकित किया गया है जिसने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक विकास के कई कार्यक्रम चलाए और श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित किए। राष्ट्रपति मून जे.इन ने नाटकीय तरीके से न्यूनतम मजदूरी 16.4 प्रतिशत बढ़ा दी।

उन्होंने बड़ी कंपनियों और सुपर रिच वर्ग पर भारी टैक्स लगाए और उससे मिले पैसों को कमजोर वर्ग के विकास में लगाया। भारत में उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने विकास प्रक्रिया को गति तो दी लेकिन इसका लाभ उसी वर्ग को मिला जो पहले से समृद्ध था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि नई व्यवस्था में सरकार का रोल सीमित हो गया। लिहाजा राजनीति का ध्यान भी गरीबों के पक्ष में नीतियां बनाने के बजाय उन्हें भरमाने पर केंद्रित हो गया है। मनरेगा जैसी कुछ गरीब समर्थक नीतियां बनीं भी तो उनका जोर कमजोर वर्ग को उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के बजाय उन्हें किसी तरह जीवित रखने पर रहा। मतलब यह कि गरीबों की दशा कुछ सुधरी जरूर पर इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यह बदलाव तभी संभव था जब गरीबों को मुख्यधारा में आने का मौका मिलता। यह तभी संभव था जब वे शिक्षित होते। लेकिन निजीकरण के बाद शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब तबकों की पहुंच इसके हाशिये तक भी नहीं हो पा रही है। सरकारों की रुचि अपने शिक्षा तंत्र को उन्नत बनाने में बिल्कुल नहीं है। कमजोर वर्ग के बच्चे किसी तरह सरकारी स्कूलों में पहुंच भी जाएं तो गरीबी के चक्र से निकलने में इस पढ़ाई की कोई भूमिका नहीं बन पाती। आर्थिक असमानता के चलते आज हर जगह आक्रोश देखा जा रहा है जिसकी अभिव्यक्ति अराजकता और हिंसक प्रदर्शनों में हो रही है। इस सूचकांक को एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए क्योंकि असमानता अंततरू विकास को विस्फोटक बना सकती है। (सं.)

इलाहाबाद का नाम नहीं बदला गया है, असल नाम बहाल किया गया है

उ.प्र. सरकार ने संगम नगरी के युगों–युगों से प्रचलित पुराने नाम 'प्रयागराज' को बहाल कर दिया है। आजादी के बाद से सभी देशभक्त यह मांग कर रहे थे। लोगों को लगता था कि नेहरू का संबंध यहां से खास है। पर वे ठहरे परम सेक्यूलर। उन्होंने इस पर कान नहीं दिया।

इसके बाद उ.प्र. में भा.ज.पा सरक. ारों के समय इस मांग ने जोर पकड़ा। पर कभी प्रदेश में गठबंधन सरकार होती थी, तो कभी केन्द्र में। अब दोनों जगह भा.ज. पा. की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अतः योगी ने निर्णय ले लिया। पर इससे सेक्यूलरों के पेट में दर्द होने लगा है। उन्हें लगता है कि यदि अभी वे चुप रहे, तो न जाने प्रदेश और देश में कितने नाम बदल दिये जाएं ? अतः इस पर कोई सर्वसम्मत नीति बननी चाहिए।

असल में नाम परिवर्तन के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं। जब विदेशी व विधर्मी हमलावर आये, तो उन्होंने कई स्थानों के नाम बदल दिये। इसका पहला उद्देश्य तो हिन्दुओं का अपमान था। अतः प्रयाग और अयोध्या को इलाहबाद और फैजाबाद किया गया। को. शिश तो उन्होंने हरिद्वार, मथुरा, काशी और दिल्ली को बदलने की भी की; पर वह चाल विफल हो गयी।

दूसरा उद्देश्य खुद को या अपने किसी पूर्वज को महिमामंडित करना था। जिस नाम के साथ 'बाद' लगा हो, उसकी यही कहानी है। अकबराबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गाजियाबाद, तुगलकाबाद, रोशनाबाद, अहमदाबाद..जैसे हजारों नाम हैं। जैसे फैजाबाद अर्थात् फैज द्वारा आबाद; पर सच ये है कि ये स्थान उन्होंने आबाद नहीं बरबाद किये हैं। इसलिए 'फैजाबाद' को 'फैज बरबाद' कहना चाहिए।

कुछ अति बुद्धिवादी कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने सैंकड़ों साल राज किया है। अतः उन्होंने नये गांव और नगर बसाये ही होंगे। उनके नाम पर प्रचलित महल, मकबरे और मस्जिदों के लिए भी यही कहा जाता है; पर वे यह नहीं बताते कि यदि सब स्मारक उन्होंने बनाये हैं, तो हिन्दू शासक क्या जंगल में रहते थे ? यदि नहीं, तो उनके महल और मंदिर कहां हैं ? सच ये है कि इस्लामी हमलावर सदा हिन्दू राजाओं से या फिर आपस में ही लड़ते–मरते रहे। उन्हें नये निर्माण की फुरसत ही नहीं थी ? उनके साथ लड़ाकू लोग आये थे, वास्तुकार और कारीगर नहीं। अतः उन्होंने तलवार के बल पर पुराने नगर और गांवों के नाम बदल दिये। महल और मंदिरों में थोड़ा फेरबदल

सबसे मुश्किल काम है सोचना, शायद यही कारण है कि इसमें इतने कम लोग लगे होते हैं।

कर, उन पर आयतें आदि खुदवा कर उन्हें इस्लामी भवन बना दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार पी.एन. ओक ने इस पर विस्तार से लिखा है।

जब अंग्रेज आये, तो कई शब्द वे ठीक से बोल नहीं पाते थे। अतः शासक होने के कारण उनके उच्चारण के अनुरूप मैड्रास, कैलकटा, बंबई, डेली.. आदि नाम चल पड़े। अब इन्हें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली कहते हैं। कानपुर, लखनऊ, बनारस आदि की वर्तनी (स्पैलिंग) भी अंग्रेजों ने बिगाड़ दी। कांग्रेस राज में नामों की धारा एक परिवार की बपौती बन गयी। अतः हर ओर गांधी, नेहरू, इंदिरा, संजय, राजीव और सोनिया नगरों की बहार आ गयी।

यहां यह पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा बदले नाम ठीक करने में ही शासन ने रुचि क्यों ली ? असल में भारत में ईसाई वोटों की संख्या बहुत कम है। उनसे सत्ता के फेरबदल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; पर मुस्लिम वोटों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए राजनीतिक दल मुस्लिम शासकों द्वारा बदले गये नामों को नहीं छेड़ते।

उ.प्र. में मायावती ने ऊधमसिंह नगर, ज्योतिबाफुले नगर, गौतमबुद्ध नगर आदि कई नये जिले बनाये; पर लोग इन्हें यू.एस. नगर, जे.पी. नगर और जी.बी. नगर ही कहते हैं। हाथरस बनाम महामाया नगर और लखनऊ के किंग जार्ज बनाम छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलिज के बीच तो कई बार कुश्ती हुई। अब भा.ज.पा. सरकार ने उ.प्र. में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन' किया है। क्योंकि 11 फरवरी, 1968 को दीनदयाल जी का शव वहां पर ही मिला था। पर खतरा ये है कि यह समय के प्रवाह में कहीं डी.डी. जंक्शन न हो जाए।

कई नामों के पीछे इतिहास और भाषायी गौरव जुड़ा होता हैं; पर जुबान का भी एक स्वभाव है। वह कठिन की बजाय सरल शब्द अपनाती है। इसलिए भोजपाल, जाबालिपुरम् और गुरुग्राम क्रमशः भोपाल, जबलपुर और गुड़गांव हो गये। मंगलौर (मंगलुरू), बंगलौर (बंगलुरू), मैसूर (मैसुरू), बेलगांव (बेलगावि), त्रिवेन्द्रम (तिरुवनंतपुरम), तंजौर (तंजावूर), कालीकट (कोझीकोड), गोहाटी (गुवाहाटी), इंदौर (इंदूर), कोचीन (कोच्चि), पूना (पुणे), बड़ोदा (बड़ोदरा), पणजी (पंजिम), उड़ीसा (ओडिसा), पांडिचेरी (पुडुचेरी) आदि की भी यही कहानी है। अब शासन भले ही इन्हें बदल दे; पर लोग पुराने और सरल नाम ही सहजता से बोलते हैं। अतः विदेशी हमलावरों द्वारा बिगाड़े नाम हटाकर ऐतिहासिक नाम फिर प्रचलित करने चाहिए। इससे अपने इतिहास का पुनर्स्मरण भी होगा; पर सहज बोलचाल के कारण प्रचलित हो गये नाम बदलने की जिद ठीक नहीं है।

(सं.)

फ्री के चक्कर में बड़ी–बड़ी कंपनियों द्वारा लोगों को धोखा

हल्दीराम द्वारा अपने उत्पाद पर लोगों को फ्री का ऑफर देकर धोखा दे रहे हैं। दिवाली के अवसर पर बेसन का लड्डू 400 ग्राम बाजार में 115 रुपए एमआरपी पर तथा वही सेम लड्डू मॉल में 225 रुपए एमआरपी है। लोगों को माल में धोखा एवं गुमराह करके कहा जा रहा है कि एक के साथ एक फ्री जनता फ्री के चक्कर में फस गई है इस तरह और भी कई उत्पाद है जिसमें कंपनी द्वारा खुले आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है सरकारों से संबंधित विभाग अपनी जेब भरने में मस्त हैं यह तो पैकेट के ऊपर प्रिंट का हाल है सामान की जांच कराई जाए तो वह भी तय मानकों का उल्लंघन हो रहा होगा। हमारे जैसे लोग शिकायत करें तो भी उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है पुलिस का अपना अलग कानून है जो नोटों के हिसाब से बदलते रहते हैं इसलिए जनता को स्वयं सोचना पड़ेगा यह देखना होगा उत्पात की हकीकत क्या है? (बृजमोहन)

क्षमा वीरों का गुण है।

...पर हम भ्रष्टाचार में अव्वल हो गए

देश एवं समाज में रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे व्यक्तियों की भी कमी हो रही है जो बेदाग चरित्र हों। विडम्बना तो यह है कि भ्रष्टाचार दूर होने के तमाम दावों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन रहा है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल इंडिया द्वारा किए गए सर्वे 'इंडिया करप्शन सर्वे 2018' के मुताबिक देश में रिश्वत देकर काम कराने वालों की संख्या में 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भ्रष्ट देशों की सूची में भी भारत अव्वल है। इन विडम्बनापूर्ण एवं त्रासद स्थितियों से कब मुक्ति मिलेगी, कब हम ईमानदार बनेंगे ? रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा–सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण–क्षण अग्नि–परीक्षा देता है। भ्रष्टाचार ऐसे ही पनपता रहा तो सब कुछ काला पड़ जायेगा, प्रगतिशील कदम उठाने वालों ने और राष्ट्र–निर्माताओं ने अगर व्यवस्था सुधारने में मुक्त मन से ईमानदार एवं निस्वार्थ प्रयत्न नहीं किया तो कहीं हम अपने स्वार्थी उन्माद में कोई ऐसा धागा नहीं खींच बैठे, जिससे पूरा कपड़ा ही उधड़ जाए।

नरेन्द्र मोदी सरकार जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनाव जीती थी वही भ्रष्टाचार कम होने की बजाय देश में अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने के तमाम दावे किये गये लेकिन इसमें कमी होने की बजाय लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स द्वारा किये गए इस सर्वे के अनुसार बीते एक साल में 56 प्रतिशत लोगों ने घूस देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इस सर्वे में देश के कुल 1,60,000 लोगों ने भाग लिया। सर्वे के मुताबिक पिछले साल 45 प्रतिशत लोगों द्वारा घूस देने का मामला सामने आया था।

सर्वे में जमीन की रजिस्ट्री जैसे कामों के लिए सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की बात कही है। पुलिस महकमा रिश्वतखोरी के मामले में दूसरे नंबर पर है। सर्वे में शामिल 25 प्रतिशत लोगों ने बताया कि पुलिस से जुड़े कामकाज के लिए उनको घूस देनी पड़ी, जबकि 18 प्रतिशत लोगों ने नगर निकायों से जुड़े कार्यों में रिश्वत देने की बात कही। हमारे देश में करप्शन ही वह मुद्दा है, जिसक.ो हर चुनाव में जरूर उठाया जाता है। शायद ही कोई पार्टी हो जो अपने घोषणापत्र में भ्रष्टाचार दूर करने का वादा न करती हो। फिर भी इस समस्या से निजात मिलना तो दूर, इसकी रफ्तार कम होने का भी कोई संकेत आज तक नहीं मिला।

रिश्वतखोरी के मामले में भारत पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों से आगे है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम आंदोलनों और सरकार की सख्ती के बावजूद रिश्वत के मामलों में भारतीय अपने पड़ोसी देशों को मात दे रहे हैं। अब भी दो तिहाई लोगों को सरक.ारी सेवाओं के बदले घूस देनी पड़ती है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है जहां दो तिहाई भारतीयों को सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी से लड़ने के लिए जो नियम–कानून बनते हैं, उनका ढंग से पालन नहीं हो पाता। साभार : पीएस

अटल बिहारी वाजपेयी की पीड़ा

गीता भी है रोक न पाई।
हमें पड़ा अपनो से लड़ना।।
ये कैसा सन्यास हो गया।
अपनों से वनवास हो गया।।
मुझे सुरुचि से गया ढकेला।
मैं सुनीत का था अलबेला।।
चिर संघर्ष साधना का वृत।
क्या महलों में पलना बढ़ना।।
गीता भी है रोक न पाई।
हमें पड़ा अपनों से लड़ना।।
संसद, सत्ता गलियारों से।
जश्न जय विजय के नारों से।
लोक तंत्र पेपथ्य हो गया।
मैं अपनों के बीच खो गया।।
सत्ता के स्वार्थ प्रपंच से।
हमें पड़ा हिमगिर में गलना।।
गीता भी है रोक न पाई।
हमें पड़ा अपनों से लड़ना।।
राष्ट्रनीति की जिजीविषा से।
कुरुक्षेत्र के नीतिवान से।।
धर्म क्षेत्र में रार हुई है।
गंगा पुत्र पवित्र भीष्म को।
हाय पड़ा तिल–तिल कर कटना।।
गीता भी.....
सत्ता का विस्तारवाद है।
आहत मानस राष्ट्रवाद है।।
सत्ता का सीमित चिराग है।
उस चिराग से लगी आग है।।
कहा मुखाग्नि गया है जिसको।
हमें पड़ा है उससे जलना।।
गीता भी.....
सत्ता दल षड्यंत्र हो गया।
खण्ड–खण्ड गणतंत्र हो गया।।
त्राहि–त्राहि जनतंत्र हो गया।
पक्ष विपक्ष स्वतंत्र हो गया।।
लोकतंत्र के पुण्य सदन को।
मस्तक अपना पड़ा पटकना।।
गीता भी.....
स्वार्थ सत्ता नंगा नर्तन।
आज नहीं ताक परिवर्तन।।
राष्ट्र नीति जनशक्ति अटल है।
जिसका भव्य विराट पटल है।।
परिवर्तन के कालखण्ड को करेगी।
सदिया अगणित गणना।।
गीता.....
हिन्दुस्तान इण्डिया नामित।
स्वार्थ सत्ता से सम्पादित।।
मुझे न ऐसा हर्ष चाहिए।
मुझको भारत वर्ष चाहिए।।
नामकरण के लिए राष्ट्र को।
शोणित पथ से पड़ा गुजरना।।
गीता भी है.....

संजीव द्विवेदी
अधिवक्ता
मानस पुत्र भारत रत्न
अटल बिहारी वाजपेयी

लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं पर अधिकारों को याद रखते हैं।

वैशाली का बुरा हाल

गाजियाबाद वैशाली दिल्ली से नजदीक होने के कारण यहां की आबादी काफी घनी हो गई है साथ में उत्तर प्रदेश एवं देश से लोग पैसा कमाने दिल्ली आते हैं जो सर्व विदित सत्य है सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारी पर भी वही रूल लागू होता है। इसलिए पैसा कमाने के चक्कर में वैशाली सेक्टर 1 2 3 4 5 का बुरा हाल कर दिया गया है कोई नियम कानून है ही नहीं कानून चाहे जो हो कोर्ट चाहे जो कहे लेकिन होगा वही जो यहां बिल्डर, व्यापारी, नेता, चाहेंगे।

जनता की भलाई का कोई काम नहीं होगा यहां का प्रशासन ऐसा है जैसा भांग खाकर नीतियां बनाते हों। वैशाली के सेक्टर 1,2,3 के लोग गंदे नाले की बदबू से परेशान हैं कुछ का तो फेफड़ा खराब हो गया है घरेलू सामान आए दिन खराब हो रहे हैं सड़कों पर चारो तरफ गंदगी की भरमार है लोग सड़क किनारे बिल्डिंग मैटेरियल खुलेआम बेच रहे हैं सड़कों पर चारों तरफ अतिक्रमण है जीडीए का जो खाली प्लाट है वहां लोगों द्वारा शौच कर के पाट दिया गया है बदबू आती है उत्तर प्रदेश वन अधिनियम के तहत पेड़ लगाने की बात करता है लेकिन सिर्फ शपथ पत्र पर पेड़ लगाने की बात की जाती है अभी हाल में वैशाली में कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किया गया गंदे लाले को ढकने के लिए लेकिन राजनीतिक लोगों द्वारा उसे खत्म करा दिया गया आश्वासन के भरोसे कुछ काम कराया गया लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। प्रश्न उठता है कि क्या उससे खतरनाक रसायन का आना बंद हुआ ? बदबू कम हुई? नाला पूरी तरह से साफ हुआ? वहां जहां दीवार लगा दी गई है वहां से गाद कैसे निकाली जाएगी? क्या होगा ग्रीन बेल्ट का? सिर्फ ऊपर खुला रहने से क्या फायदे? और ऊपर से ढक देने से क्या नुकसान है? पूरे नाले की सफाई की क्या व्यवस्था है? कुछ लोग एनजीटी के आदेश की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं कि नाला ढक नहीं सकता, ठीक है किंतु एनजीटी के आदेश का पूरा पालन करा दिया जाए तो नाले को ढकने की जरूरत ही नहीं है। क्लाउड–9 तथा एक्सप्रेस ग्रीन द्वारा जहां नाला ढक दिया गया है वहां की गाद कैसे साफ होगी? (गीता देवी)

बिल्डरों की जालसाजी

वैशाली गाजियाबाद के बिल्डर द्वारा कौड़ियों के भाव जमीन सरकारी मिलीभगत करके सर्कल रेट से भी कम दर पर खरीदी गई जितने वर्ग मीटर में जमीन खरीदी गई उससे अधिक रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट बेचा जा रहा है साथ में पीएसी की फर्जी एनओसी लगवा का नक्शा पास करवा लिया गया तथा पीएसी की जमीन पर कब्जा कर लिया इस संबंध में पीएसी द्वारा दो एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में भी मामला विच. ाराधीन है।

अवैध रूप से नाले को कवर करके ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दिया गया और एनजीटी एवं प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है पीएसी की जमीन कब्जे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक ने कार्यवाही की बात कही थी लेकिन विकास प्राधिकरण के आला मालिक सहपाठी होने के कारण कार्यवाही तो दूर शिकायत करने वाले को ही फर्जी मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर तथा सरकारी ईमानदार अधिकारी का हस्तांतरण करवा दिया जाता था बिल्डर द्वारा तय मानकों एवं विकास प्राधिकरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई लेकिन शासन प्रशासन कोई कार्यवाही ना करके सिर्फ अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। बिल्डर द्वारा लोगों से पैसे ले लिए हैं समय से पजेशन भी नहीं दिया गया एक महिला गीता देवी 35 लाख 50 हजार रुपए 2014 में दिए थे लेकिन अभी तक फ्लैट नहीं दिया गया साथ में जीडीए से अभी पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है और जब परेशान गीता देवी उसे मांगने जाती हैं तो उनसे और पैसे की डिमांड कर दी जाती है गीता देवी को ऑफिस में 4 घंटे बैठाए रखा जाता है गीता देवी के साथ बिल्डर ने दुर्व्यवहार भी करने की कोशिश की। गीता देवी ने सभी पुलिस अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री को भी शिकायत की लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई उल्टे उसे डराया धमकाया जा रहा है बिल्डर की नियत होती है कि फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस नहीं करना पड़े, चाहे उससे कई गुना पैसा सेवा शुल्क में या मुकदमे बाजी में खर्च हो जाए क्योंकि वह कहते हैं कि पैसे वापस करेंगे तो सभी या ज्यादातर लोग पैसे मांगने आ जाएंगे बड़ी मुश्किल से शिकार फंसा पाया हूं दूसरा बिल्डर पर अंग्रेजों का बनाया कानून आईपीसी भी फेल हो गया है आप किसी से 100000 ले ले, न दे, तो पुलिस 420 406 और क्या–क्या धाराएं लगा देगी, वहीं बिल्डर लाखों करोड़ों रुपए लेकर इधर–उधर कर दे कमिटमेंट पूरा ना करें, कोई फर्जीवाड़ा नहीं माना जाता यदि माना जाता तो उच्चतम न्यायालय जिस तरह आम्रपाली पर आदेश कर रहा है और संज्ञान ले रहा है धारा 420 406 मनी लांड्रिंग की एफआईआर दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए लेकिन अम्रपाली ग्रुप के बड़े बड़े नामी गिरामी एडवोकेट खड़े हो कर के उसे पूरी तरह से संरक्षण दे रहे हैं न्यायालय भी असहाय महसूस कर रहा है।(रिपोर्टर)

खरी-खरी

दिल्ली में जब पेड़ कटते हैं तो सभी सोते हैं जब कट जाते हैं तब भौंकते हैं।

अगर अमीर बनाना ही तुम्हारा एक मात्र लक्ष्य है ,तो तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे।

राममंदिर के लिए संसद में प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को 'हिन्दुत्व' पर घेरने की तैयारी

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की आहट के बीच एक बार फिर अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण का शोर सुनाई पड़ने लगा है। अबकी बार की खासियत यह है कि बीजेपी की मोदी–योगी सरकारें तो नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा वाले साधू–संत और हिन्दूवादी संगठन मंदिर निर्माण की तारीख भी बता रहे हैं। संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की मांग के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहें, 'बेवजह समाज के धैर्य की परीक्षा लेना किसी के हित में नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिये कानून लाए सरकार।' तो, समझा जा सकता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर कहीं न कहीं खिचड़ी पक जरूर रही है। साधू–संत तो बाकायदा यहां तक कह रहे हैं कि 06 दिसंबर 2018 से अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो जायेगा। खास बात यह है कि कई मुस्लिम संगठन भी अब मंदिर निर्माण के पक्ष में बोलने लगे हैं। खुद को बाबर का वंशज बताने वाले भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर निर्माण हुआ तो वह सोने की ईंट देंगे।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद से ही मोदी सरकार के ऊपर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का चौतरफा दबाव बन रहा है। बीजेपी के भीतर से भी समय–समय पर मंदिर निर्माण की आवाज उठती रहती है। मंदिर से लेकर तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 24 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक भी करने जा रहा है, जो इस दिशा में 'मील का पत्थर' साबित हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, योगी सरकार के तमाम मंत्रियों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें हिस्सा लेंगे। हाल ही में नागपुर में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर पर ताजा बयान के बाद इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। मोहन भागवत के अलावा संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल सहित कई अन्य प्रमुख लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में योगी सरकार के कामकाज, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में कई चेहरों के भविष्य पर भी मुहर लगेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव का रोडमैप बनाने के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी।

बहरहाल, लाख टके का सवाल यही है कि क्या आम चुनाव से पूर्व मंदिर निर्माण हो पायेगा ? या यह एक बार फिर चुनावी शिगूफा साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से राम मंदिर के नाम पर सियासत का आरोप लगता रहा है। खासकर, जब से केन्द्र में मोदी और यूपी में योगी का राज आया है तब से यह हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी जब भी किसी मंच पर मंदिर निर्माण की वकालत करती तो विपक्ष बीजेपी पर तंज कसने लगता है, 'मंदिर वहीं बनायेंगे, पर तारीख नहीं बतायेंगे।' मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण विपक्ष के हमले से बीजेपी तिलमिला कर रह जाती है। यह सिल. सिला कई वर्षों से अनवरत जारी था। मंदिर निर्माण ऐसा मुददा था, जिसकी मुखालफत करके मुलायम और लालू यादव जैसे नेता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने बीजेपी की राम मंदिर निर्माण की सियासत के खिलाफ लामबंदी करके मुस्लिम वोटों की खूब लामबंदी की। बीजेपी को साम्प्रदायिक पार्टी करार दे दिया गया। मुसलामनों को डराया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जायेगी तो उनके लिये देश में रहना मुश्किल हो जायेगा। मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ही पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि प्राकतिक सम्पदा पर पहला हक मुसलमानों का है। मुस्लिम तुष्टिकरण का यह सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा। ऊंच–नीच के नाम पर हिन्दुओं को आपस में लड़ाया गया। यह सिलसिला 2014 में तब कमजोर पड़ा जब मोदी ने विरोधियों की तुष्टिकरण की सियासत के खिलाफ हिन्दुत्व को धार देकर शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिये एंटोनी कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस को हिन्दू विरोधी छवि के कारण नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को एंटोनी कमेटी की बात समझ में नहीं आई।

उधर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे नेताओं का मुस्लिम वोटों की सियासत से मोहभंग नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी हिन्दुत्व के सहारे एक के बाद एक राज्य में सत्तारूढ़ होती जा रही थी।

वैसे, हकीकत यह भी है कि राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी फैसला आने की उम्मीद किसी को नहीं है। अगर मोदी सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दे तो बीजेपी को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के साथ–साथ इसी वर्ष के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। योगी सरकार मंदिर निर्माण के लिये प्रस्ताव केन्द्र को भेज सकती है, जिसको आधार बनाकर मोदी सरकार इसे लोकसभा में आसानी से पारित करा लेगी, तो राज्यसभा में भी शायद ही कोई खास अड़चन आए। राजनैतिक नुकसान के डर से कांग्रेस शायद मंदिर निर्माण के लिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, जैसा राग नहीं अलाप सकेगी। साभार : पीएस

सफलता का रहस्य है साधारण चीजों को असाधारण तरीके से करना।

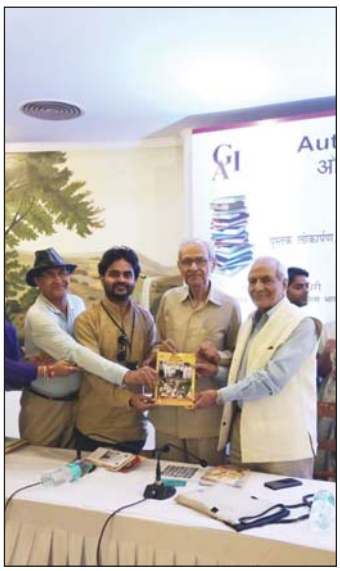

प्रगति मैदान पुस्तक मेले में पद्मश्री डॉक्टर शशि से पुरस्कार प्राप्त करते लोक जागृति पत्रिका के एडिटर आलोक सोलंकी।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर आदेश गुप्ता को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी साथ में ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम शास्त्री।

सैफई मेडिकल कॉलेज सुप्रीटेंडेंट डॉ. आदेश गुप्ता जी को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी एवं वरिष्ठ समाजसेवी शिवेंद्र चौहान।

सीडीओ जालौन जिला उत्तर प्रदेश को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी एवं वरिष्ठ समाजसेवी शिवेंद्र चौहान।

सीओ मोनिका यादव लखनऊ को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी एवं पूर्व प्रधानाचार्य बीएल यादव।

इंदौर जेलर कन्नौज को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी एवं समाजसेवी श्याम कुमार सिंह सोलंकी।

भवानी सिंह क्षेत्रीय महामंत्री संगठन ब्रिज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र भाजपा को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी भाजपा नेता विकांत चौहान, समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संजय चौहान व शेखर चौहान।

लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है।

EDUCATION SOLUTION

Education Solution

One Door Solution For All Educational Needs

Save Your Years
and Regularise Your Studies with
"NIOS" Board
Home Tuition Assignments Are Also
Provided at Affordable Cost

Complete Your
Syllabus in Summer
Vacation

Now in
Indirapuram
Niti Khand -1

Abacus Classes
Also Available

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

IXth - Xth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

XIth - XIIth
MATHS,
PHYSICS, CHEMISTRY
BIOLOGY
ENGLISH, ACCOUNTS
ECONOMICS
B.st, C++, I.P.

B.Com, B.A-B.Sc
ACCOUNT, ECONOMICS
MATHS
INCOME TAX
CORP. ACCOUNTING
BUSINESS LAW
COST ACCOUNTING

PROFESSIONAL COACHING

CA-CPT,CS,ICWA
CA-CPT, IPCC
CS (Foundation)
CS (Executive)
CMA (Foundation)
CMA (Inter Mediate)

BBA, MBA
INCOME TAX,
COSTING
FINANCIAL MANAGEMENT
CORPORATE ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
BUSINESS LAW

B.Tech, MBBS
IIT-JEE, BITSAT
CPMT, UPTECH

Competitive Exam
POLYTECHNIC
BANK ENTRANCE, UPSE
SSC,
SPOKEN ENGLISH, ETC.

HEAD OFFICE : PLOT NO 420 SECTOR 5 VAISHALI GHAZIABAD, BEHIND SHOPRIX MALL

Office : 0120-4130999 | M. : 9911932244, 9999232199, 9999207099, 9999907099

Email: educationsolutionvep@gmail.com | www.educationsolution.co

CONSULT and LEARN

(Also online)

Astrology, Palmistry & Vaastu

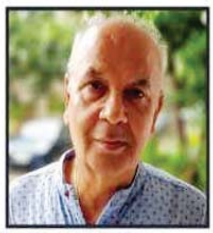

with Senior Jyotish Acharya

S.K. Sharma

27+ Yrs. Exp., Award Winner

CONSULTATIONS : On any issues of your life along with Vedic Astro, Gems, Vaastu and Vedic Mantras Guidelines for Self Chatting the Mantras to get good results against problems, Vaastu visits for Vaastu Corrections to remove Vaastu doshas without any demolitions of structure

TEACHING: Astrology, Palmistry, Numerology, Vaastu and Fengshui in short durations of time from root level to expert level. Please visit following website for more details www.astropalmistvaastuguru.com

Indirapuram : T-12 (Third floor), Module-9, Mangalam Residency, Abhay Khand-3, Indirapuram, Gzb.

Gurgaon : Flat No. 1, Tower 2, Vipulgreen Society, Sohna Road, Sec-48

Mob. No.: 9818952437, 8745824922

E-mail: astrogurusks@gmail.com, Web.: www.astropalmistvaastuguru.com

Please visit "YOU TUBE", type Astrologer S.K. Sharma for More Details

---

OUR SERVICES:

- Anti Ageing Treatment
- Botox
- Fillers
- Acne Scars
- Birth Marks
- Frown Lines
- Keloid
- Laser Hair Removal
- Moles
- Pigmentation
- Skin Rejuvenation
- Skin Tag
- Tattoo Marks
- Vitiligo (Leucoderma)
- Warts
- Wrinkles
- Whitening Peels

16th ANNIVERSARY

TRANSFORM YOUR BODY WITHOUT SURGERY OR DOWNTIME

DR. T. A. RANA

MBBS, MD (Dermatology)

Dermatologist and Aesthetic Laser surgeon

www.ranaskinlaser.com

Skin Laser Institute

CARE WITH SATISFACTION

A-50, Sector-26, opp. Kailash Hospital, Noida-201301, Contact: 0120-2443400, 7838976117, 9811309751

RNI NO.UPHIN/2011/39809

LEGEAZY
INTERNATIONAL
FREEDOM OF LIFE

Legeazy membership is a unique concept which provides consultancy without any hassle, Free of cost and with trusted qualified professionals

* Personal legal assistance
* Commercial & consumer dispute
* Corporate matters Income Tax and service tax mattters.
* Regd. of Company, Service Tax, Trust, society trade mark etc.
* Property documentation, Validation, title investigation and Advise.
* Criminal and civil matters.
* Builders buyers disputes.
* Family disputes and consultancy on marital discords.
* Accounting/Book Keeping.
* Claims and Settlement.

Off. Add:- 3A/95, Vaishali Ghaziabad, U.P. 201010
Mob. No.:-9560522777, 9810960818
Email: info@legeazy.com Website : www.legeazy.com